भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

1991 की संख्या 14

संघ सरकार

(अन्य स्वायत्त निकाय)

कॉफी बोर्ड

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		(iii)
विहंगावलोकन		(v)
प्रस्तावना	1	1
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2	1
संगठनात्मक ढांचा	3	2
निधियों की व्यवस्था	4	3
पूलिंग	5	7
कॉफी का उत्पादन	6	9
संसाधन	7	14
उत्पादकों को अदायगियां	8	26
विपणन	9	29
अनुसंधान, विस्तार तथा विकास	10	39
प्रचार विभाग	11	50
सतर्कता	12	51
आंतरिक लेखापरीक्षा	13	52
पुनरीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताएं	14	53

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

काफी बोर्ड की कार्यप्रणाली पर एक पुनरीक्षण सम्मिलित करने वाला भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुतिकरण हेतु तैयार किया गया है ।

पुनरीक्षण में उल्लिखित मुद्दे वे हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये ।

विहंगावलोकन

कॉफी बोर्ड की स्थापना, कॉफी कृषि, अनुसंधान, काफी की बिक्री तथा खपत को प्रोत्साहन देकर, कॉफी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉफी अधिनियम, 1942(अधिनियम) के अन्तर्गत की गई थी । बोर्ड में अध्यक्ष तथा विभिन्न हित रखने वाले समूहों को प्रतिनिधित्व देने वाले 32 सदस्य शामिल हैं । 31 मार्च 1989 को 0.04 लाख बड़े तथा 1.20 लाख छोटे उत्पादकों सहित 1.24 लाख कॉफी उत्पादक थे । सातवीं योजना अवधि के दौरान कॉफी का औसत वार्षिक उत्पादन 1.50 लाख टन था । देश में उत्पादित कुल कॉफी का, लगभग दो तिहाई निर्यात किया जाता है तथा शेष घरेलू बाजार में उपयोग में लाया जाता है । 1989-90 के कॉफी मौसम में कुल निर्यात आय 358 करोड़ रु. थी।

बोर्ड ने दिसम्बर 1984 में बोर्ड की योजनाओं तथा नीतियों का पुनरीक्षण ए.एफ.फेरगुसन एंड कम्पनी (ए.एफ.एफ.) को सौंपा, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुशंसा की (अक्तूबर1986) कि बोर्ड में उनके प्रतिनिधियों के चयन में विभिन्न हित समूहों को शामिल करने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार प्रत्येक श्रेणी के लिए विभिन्न मान्यताप्राप्त संगठनों द्वारा प्रस्तुत सूचियों पर आधारित दो नाम मनोनीत कर सकती थी, जिनमें से एक प्रत्येक हित रखने वाले समूह द्वारा, चुनाव अथवा अन्य कोई उपयुक्त विधि द्वारा चुना जा सकता था । सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था (सितम्बर 1991) ।

यद्यपि, अधिनियम सरकार द्वारा उत्पादकों को आंतरिक बिक्री कोटे की अनुमति दिये जाने की अनुमति देता है,1940-41 से 1943-44 के दौरान को छोड़कर भूतकाल में यह नहीं किया गया था तथा उत्पादकों द्वारा समस्त कॉफी, बोर्ड को प्रत्याहरित की जा रही थी । ए.एफ.एफ. ने अक्तूबर 1986 में आंतरिक बिक्री कोटे को प्रारम्भ करने की अनुशंसा की थी । बाद में अक्तूबर 1986 में सरकार द्वारा स्थापित एक सदस्यीय समिति ने अक्तूबर 1987 में अनुशंसा की थी कि प्रारम्भ में कतिपय शर्तों के अध्याधीन उत्पादकों को 10 प्रतिशत का वैकल्पिक कोटा अनुमत किया जा सकता है। इन मुद्दों पर सरकार/कॉफी बोर्ड द्वारा अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है (सितम्बर 1991)।

लोक लेखा समिति ने अपनी 127वीं रिपोर्ट (1983) में संसाधन कार्यशालाओं को स्थापित करने में छोटे उत्पादकों द्वारा सहकारिता के गठन की अनुशंसा की । उत्पादकों से प्रत्युत्तर के अभाव में 1987 में केवल एक संसाधन कार्यशाला स्थापित की गई थी ।

विदेश में भारतीय कॉफी के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए बोर्ड द्वारा की गई पहल न्यूनतम रही है, जैसा कि भारत से बाहर प्रचार पर किये गये अल्प आबंटनों से मालूम होगा। कलैंडर वर्ष 1985-89 के दौरान विश्व निर्यात से भारतीय कॉफी के निर्यात की प्रतिशतता 2.2 से 2.7 प्रतिशत के बीच थी। कौफी का विश्व बाजार अस्थिर होने के नाते, बाजार के वर्तमान अंश को बनाये रखने, इससे बढ़कर कॉफी के विश्व मूल्यों में निरंतर गिरावट के सन्दर्भ में, इसमें सतत प्रयत्नों की आवश्यकता है ।

सातवीं योजना में 1989-90 के अन्त तक 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 1.80 लाख टन के उत्पादन लक्ष्य पर विचार किया गया था । 1988-90 की योजनावधि के अन्त में केवल 2.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर देते हुए प्राप्त द्विवार्षिक औसत उत्पादन 1.68 लाख टन था । सकल वार्षिक कॉफी उत्पादन में वर्षानुवर्ष काफी उतार-चढ़ाव था। 1984-85, 1986-87, 1988-89 के मौसमों में प्राप्त 1.95 लाख टन, 1.92 लाख टन तथा 2.15 लाख टन के उत्पादन के प्रति, 1985-86, 1987-88 तथा 1989-90 के कम पैदावार के मौसम में उत्पादन के आंकड़े कॉफी कम क्रमशः 1.22, 1.23 तथा 1.20 लाख टन थे । मंत्रालय द्वारा उत्पादकता को स्थिर करने तथा बढ़ाने के लिए उठाये गये बहुत से कदमों के बावजूद भी उतार चढ़ाव मौसम दर मौसम चलता रहा ।

1986-89 के तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षा में पुनरीक्षण किये गये 22 संसाधन कार्यशालाओं द्वारा की गई संसाधित कॉफी की पैदावार ने विभिन्न प्रकार की कुल 5509.28 टन कॉफी की मानक पैदावार की तुलना में कम पैदावार प्रदर्शित की, परिणामस्वरुप, उत्पादकों को 11.23 करोड़ रु. की हानि हुई । निर्दिष्ट परिवर्तन सूत्र के आधार पर स्पष्ट रुप से भुगतान के प्रति छोटे उत्पादकों द्वारा सुपुर्द की गई कॉफी के सम्बन्ध में, वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान संसाधन कार्यशालाओं द्वारा सूचित की गई वास्तविक संसाधित कॉफी की निकासी, मानदंड की तुलना में 6894 टन तक कम थी, परिणामस्वरुप पूल निधि को 11.93 करोड़ रु. की हानि हुई । संसाधन कार्यशालाओं के साथ बोर्ड द्वारा किये गये अनुबंध संसाधनकर्त्ताओं को समय, जिसके भीतर कॉफी संसाधित की जानी है, उत्पादन घोषित किया जाना है तथा कॉफी का श्रेणीकरण किया जाना है, के लिए, उत्पादकों को उत्तरदायी होने को प्रतिबद्ध नहीं करते हैं । प्रतिकूल उत्पादन के विरुद्ध अभिवेदन के लिए उत्पादकों को अपील की सुविधा उपलब्ध नहीं थी ।

लोक लेखा समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट (1985-86) में दोहराया कि संसाधन क्षमता बढ़ाने के लिए, न केवल विद्यमान अन्तराल को भरने के लिए, अपितु कॉफी के उत्पादन में भविष्य में वृद्धि को पूरा करने के लिए भी एक व्यावहारिक योजना बनायी जानी चाहिए । 30 जून 1991 को

विद्यमान संसाधन क्षमता गैर बम्पर मौसम में क्षमता के 5 प्रतिशत सहमसीमा शामिल करने के बाद गैर-बम्पर मौसम में 1.78 लाख टन तथा बम्पर मौसम में 1.99 लाख टन थी । इसके प्रति, 1988-89 में, बम्पर मौसम में, कुल कॉफी उत्पादन 2.15 लाख टन था ।

यह आवश्यक है कि कॉफी के प्रतिस्पर्धात्मक विपणन हेतु संसाधन की अच्छी गुणवत्ता के लिए संसाधन कार्यशालाओं में उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जाये । ए.एफ.एफ. ने अक्तूबर 1986 में अनुशंसा की थी कि बोर्ड को संसाधन कार्यशालाओं में सज्जीकृत उपकरणों के प्रवेश हेतु प्रोत्साहन देना चाहिये । जबकि आयातित मशीनों पर उत्पाद शुल्क जुलाई 1986 में 90 से घटाकर 60 प्रतिशत हो गया था, स्वयं बोर्ड द्वारा सातवीं योजनावधि अर्थात् 1985-90 के दौरान कोई भी प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया था ।

मई 1989 के लिए एक नमूना जांच में यह पता चला था कि उत्पादकों को भुगतान करने के लिए पूलिंग एजेंटों के निपटान पर रखी गयी राशियों पर समुचित जांच तथा नियंत्रण के अभाव में 74 मामलों में (राशि:31.65करोड़ रु.) बिना समुचित मांगपत्रों के निधियां जारी कर दी गई थी तथा 6मामलों में (राशि:1.48 करोड़ रु.) मांग की गई राशि से अधिक राशियां जारी कर दी गई थी । इसके परिणामस्वरुप, एजेंटों ने अनाधिकृत रुप से धन की बड़ी राशियों अपने पास रखी तथा अनाभिप्रेत लाभ प्राप्त किये ।

यद्यपि, बोर्ड कॉफी की प्राप्ति, संसाधन, अभिरक्षा तथा सुपुर्दगी के लिए पूरी तरह संसाधन कार्यशालाओं पर निर्भर है, बोर्ड ने अधिकारियों द्वारा भंडारों का शत प्रतिशत वार्षिक सत्यापन निर्धारित नहीं किया है तथा इसकी बजाय संसाधन कार्यशालाओं द्वारा दिये गये प्रमाणपत्रों पर निर्भर रहा । शिकायतों के आधार पर बोर्ड ने नवम्बर 1989 तथा फरवरी 1990 में एक संसाधित कार्यों के स्टाक की विशेष जांच की तथा 73.65 लाख रुपये मूल्य की कॉफी की कमियां पाई थीं।

बोर्ड द्वारा समुचित जांच के न किए जाने के कारण 83 लाख रुपये आहरण करने परन्तु उसे उत्पादकों को भुगतान न करने के द्वारा एक संसाधनकार्य 1981-82 से बोर्ड को धोखा देते हुए पाया गया था। सितम्बर 1989 में अपयोजन का पता चल चुकने के बाद भी बोर्ड द्वारा संसाधित कार्यों को 1.60 करोड़ रुपये की और राशि जारी कर दी गई थी जिस में से संसाधनकर्ता 1.17 करोड़ रुपये के लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहा था।

लोक लेखा समिति ने 1983 में अपनी 127वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि किसी एक मौसम में पूल कॉफी हेतु उत्पादकों को अंतिम भुगतान 18 महीने से ज्यादा अथवा पूल लेखे को बंद करने के छः महीने से अधिक देरी से नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, 1984-85 से 1988-89

मौसम के लिए भुगतान 30 से 21 महीनों के फैलाव में किए गए थे।

क्योंकि बोर्ड प्रत्येक वर्ष की कॉफी के निपटान के लिए दो से तीन वर्ष लेता है, 1983 से 1989 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में 22,382 से 80,185 टन के बीच कॉफी का विशाल भंडार एकत्र हो गया था। ऐसे अत्याधिक भंडार को रखने में बृहत रखरखाव लागत निहित थी जिसे अंततः पूल निधि को प्रभारित किया गया था, परिणामस्वरुप उत्पादकों की शुद्ध आय में कमी हो गई थी। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित निलामी हेतु पूर्व मौसमों के भंडार, परन्तु जिसे उठाया नहीं गया को बाद में नीचा दर्जा दे दिया गया था तथा नीले सूचीपत्र (घटिया) के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया तथा कम कीमतों पर बेच दिया गया था। ऐसी घटिया दर्जे की बेची गई कॉफी 1986-87 से 1989-90 के दौरान क्रमशः 1577, 3790, 3357 तथा 1785 टन थी।

घरेलू बाजार हेतु कॉफी का वास्तविक रुप से जारी किया जाना स्थिर था तथा 1989-90 के सिवाय सातवीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु 60,000 टन के लक्ष्य से कम था तथा घरेलू बाजार में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रयत्न को प्रकट नहीं करता था।

बोर्ड ने इंस्टैंट कॉफी निर्माताओं को 12.10 करोड़ रुपये की कुल शुल्क वापसी तथा नकद प्रतिपूरक सहायता का लाभ इस आधार पर अनुमत किया था कि निर्यात कीमत में से अनुमत किए जाने को स्वीकृत सम्परिवर्तन लागत, उन की अपनी उद्धृत दरों की तुलना में निर्यात प्रोत्साहनों के दिए जाने की वित्तीय आलिप्तता को परिकलित किए बिना उनके द्वारा वहन की गई लागत को पर्याप्त रुप से पूरा नहीं कर सकेगी।

एक फर्म को 32 लाख रुपये अतिरिक्त संविदात्मक भुगतान, इंस्टैंट कॉफी के बढ़िया निस्कर्षण के आधार पर किया गया था हालांकि किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक दावे के बिना निस्कर्षण का सुधार करना फर्म की संविदात्मक बाध्यता था।

अनुसंधान कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए 1984 में गठित मूल्यांकन समिति ने यह पाया कि कॉफी प्रदर्शन फर्मों में प्राप्त उपज कॉफी उत्पादकों को एक नमूने के रुप में सेवा प्रदान करने के लिए जिले में उच्चतम होनी चाहिए। परम्परागत क्षेत्रों में ग्यारह कॉफी प्रदर्शन फार्मों में से 1987-88 के लिए तीन फार्मो, 1988-89 के लिये पांच फार्मो तथा 1989-90 के लिये चार फार्मो के संबंध में उत्पादन स्तर संबंधित जिला औसतों से भी कम थे । इसी प्रकार गैर परम्परागत क्षेत्रों में तीन कॉफी प्रदर्शन फार्मो के संबंध में 1989-90 के लिये औसत उत्पादन स्तर, 1987-88 के लिये अखिल भारतीय औसत से काफी कम थे । नमूनों के रुप में इन फार्मो की स्थापना का उद्देश्य, इस प्रकार पूर्ण रुप से प्राप्त नहीं हुआ था । समिति ने खेतों इत्यादि से कॉफी पैदावार के अन्तिम उत्पाद

पर रोगजनक अवशेषों के प्रभावों पर अध्ययन करने के लिये एक गुणवत्ता नियंत्रण मंडल स्थापित करने की भी सिफारिश की थी । गुणवत्ता नियंत्रण मंडल की स्थापना अभी तक नहीं की गई थी (सितम्बर1991) ।

जनवरी 1991 में "बेरी बोर्डर" के समेकित महामारी प्रबन्धन के लिये 175.40 लाख रु. के परिव्यय की प्रस्तावित परियोजना,सरकार के अनुमोदन की प्रतिक्षा कर रही है (सितम्बर 1991) हालांकि कीट महामारी कर्नाटक के कोडागू जिले के पास के क्षेत्र में फैली है ।

लोक लेखा समिति ने अपनी 127वीं रिपोर्ट (1983) में दोहराया कि बोर्ड द्वारा दोनों, उत्पादकता बढोतरी तथा कॉफी खेती प्रसार के रुप में काफी के विकास हेतु एक विवेकपूर्ण कार्यक्रम विकसित करने के द्वारा गैर परम्परागत क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयास करने चाहिये । तथापि, सातवीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त प्रसार नियत किये गये लक्ष्य का केवल 51 प्रतिशत था ।

सतर्कता खण्ड द्वारा छानबीन के लिये शुरु किये गये 283 मामलों में से 224 मामले छानबीन के बाद बन्द कर दिये थे तथा बाकी 58 मामले तीन वर्षों से भी अधिक पुराने थे । सतर्कता खण्ड द्वारा फरवरी-नवम्बर 1990 के दौरान किये गये भण्डारों के प्रत्यक्ष सत्यापन से 2.22 करोड़ रु. की राशि की कमी का पता चला जिस में से केवल 13.10 लाख रु. की वसूली की गई थी (सितम्बर 1991)।

31 दिसम्बर 1990 को बोर्ड के आंतरिक लेखापरीक्षा खण्ड ने 129 इकाईयों का बकाया छोड़ते हुए, कुल 305 इकाईयों में से 176 इकाईयां निरीक्षित की थीं।

वाणिज्य मंत्रालय

कॉफी बोर्ड, बंगलौर

1. प्रस्तावना

कॉफी बोर्ड, बंगलौर (बोर्ड) की स्थापना, कॉफी में कृषि तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान में सहायता प्रदान करने, कॉफी के उत्पादन, बिक्री तथा उपभोग को प्रोत्साहन देने, उनके विकासात्मक कार्यकलापों में कॉफी सम्पदाओं की सहायता करने तथा कॉफी उद्योग में मजदूरों के हित के लिए कल्याणकारी कदमों को प्रोत्साहन देने जैसे उपायों के माध्यम से कॉफी उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, कॉफी बाजार विस्तार अधिनियम, 1942 के अंतर्गत, एक निकाय के रुप में की गई थी।

कॉफी उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने, पुनर्वितरण को सम्पादित करने तथा बोर्ड में परिचायक बहुत से हितों के विस्तार तथा कॉफी उद्योग के विकास हेतु व्यवस्था करने के उद्देश्य से भी कॉफी बाजार विस्तार अधिनियम, 1942 को 1954 में संशोधित किया गया था तथा कॉफी अधिनियम, 1942 (अधिनियम) के रुप में पुनःनामित किया गया था। इसके अनुरुप्य में, केन्द्र सरकार (सरकार) द्वारा अगस्त 1955 में तब विद्यमान कॉफी बाजार तथा विस्तार नियम, 1940 को हटाते हुए कॉफी नियम, 1955 लागू किए गए थे।

2. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

बोर्ड के लेखों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है तथा लेखापरीक्षित लेखे, उन पर प्रतिवेदनों सहित संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित होते हैं। बोर्ड के लेखों की 1989-90 तक लेखापरीक्षा की गई थी। ये राज्य सभा को मार्च 1991 में प्रस्तुत किए गए थे तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु लोक सभा सचिवालय को अगस्त 1991 में भेजे गए थे।

बोर्ड की कार्यप्रणाली पर पहले ही भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (सिविल) के 1979-80 हेतु प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई थी। लोक लेखा समिति ने अपने 127 वें प्रतिवेदन-सातवीं लोकसभा 1983 तथा चौथे प्रतिवेदन-आठवीं लोकसभा 1985 में उपनी अनुशंसाएं की थीं। की गई 65 अनुशंसाओं में से समिति द्वारा 33 के उत्तर स्वीकार किए गए थे तथा इसने वाणिज्य मंत्रालय के उत्तरों के प्रकाश में 17 अनुशंसाओं का अनुसरण न करने का निर्णय किया। शेष अनुशंसाओं का अनुसरण मंत्रालय द्वारा किया जाना था तथा वर्तमान पुनरीक्षण इन अनुशंसाओं में से

कुछ को शामिल करता है।

वर्तमान पुनरीक्षण जनवरी-मई 1991 के दौरान किया गया था तथा सामान्यतया 1985-86 से 1989-90 की अवधि को आवृत करता है। इसके विभागों अर्थात् विपणन, प्रचार, अनुसंधान, विस्तार, विकास तथा सतर्कता, सात संसाधन कर्मशाला, एक इंडिया कॉफी हाऊस, आठ इंडिया कॉफी डिपो(इ.कॉ.डि.), चार मंडलीय कार्यालय, दो क्षेत्रीय कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालय (एक कॉफी प्रदर्शन फार्म सहित) से संबंधित बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का पुनरीक्षण तथा नमूना जांच की गई थी। इसके निष्कर्ष आगामी पैराग्राफो में उल्लिखित किए गये है। मंत्रालय ने पुनरीक्षण का उत्तर सितम्बर 1991 में प्रेषित किया जो उचित रुप से शामिल कर लिया गया है।

3. संगठनात्मक ढांचा

बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय (मंत्रालय)के नियंत्रण तथा निदेश के अंतर्गत कार्य करता है। बोर्ड के उद्देश्यों में उत्पादकों से संबंधित फालतू कॉफी का एकत्रीकरण तथा उत्पादकों के सर्वोत्तम हितों तथा देश में कॉफी उद्योग के चहुँमुखी विकास के लिए काम करने के लिए इसका विपणन, शामिल था। यह, सरकार के पास नामांकन का अधिकार निहित होते हुए, बोर्ड के पास विविध हित वाले समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान कराये जाने के द्वारा प्राप्त किया जाना था। बोर्ड सदस्य एक समय पर तीन वर्षों से अनाधिक अवधि के लिए नामांकित किए जाते हैं।

बोर्ड का अध्यक्ष तथा 32 सदस्य, अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित तरीके से कॉफी उद्योग में विभिन्न हित रखने वाले समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बोर्ड में संसद के तीन सदस्य, मुख्य कॉफी उत्पादक राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्यः कॉफी उत्पादाकों से दस सदस्य- तीन बड़े उत्पदाकों तथा सात छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वालेः कॉफी व्यापार से तीन सदस्यः संसाधन गृहों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्यः श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्यः उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्यः इन्सटैंट कॉफी मैनुफैक्चरर से एक सदस्यः कॉफी से जुड़े हुए एक वैज्ञानिक अथवा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व होने के नाते एक व्यक्ति, तथा परम्परागत कॉफी उत्पादक राज्यों के अतिरिक्त अन्य कॉफी उत्पादक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष बोर्ड का मुख्य कार्यकारी है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय होगा कि लोक लेखा समिति ने अपनी 127वीं रिपोर्ट (1983) में बताया था कि "यह याद रखना लाभदायक होगा कि ऐसे बोर्ड उत्पादाकों की सेवा के लिए स्थापित किए जाते हैं। अतः समिति यह चाहती है कि छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व जोकि

उत्पादाकों की कुल संख्या का 90 प्रतिशत से अधिक बनता है, में भी समुचित रुप से वृद्धि की जानी चाहिए।" आगे, कॉफी बोर्ड द्वारा दिसम्बर 1984 में उन क्षेत्रों की पहचान करने, जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है बोर्ड की योजनाओं तथा नीतियों का पुनरीक्षण करने के लिए तथा इन परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए प्रणालियों का सुझाव देने के लिए ए.एफ.फैरगूसन एंड कं. (ए.एफ.एफ) को रखा गया था। अक्तूबर 1986 में कॉफी बोर्ड को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में ए.एफ.एफ. ने सुझाव दिया कि "बोर्ड के समग्र गठन में परिवर्तन करने की तत्काल कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती है।" ए.एफ.एफ द्वारा यह अनुशंसा भी की गई थी कि बोर्ड में अपने प्रतिनिधियों के चयन में विभिन्न हित रखने वाले समूहों (जैसे उत्पादक, निर्यातक, पूल बिक्री एजेंट, इत्यादि) को शामिल करने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार प्रत्येक श्रेणी के लिए दो नाम (विभिन्न मान्यताप्राप्त संगठनों द्वारा प्रस्तुत सूचियों पर आधारित) मनोनीत कर सकती थी। विभिन्न हित वाले समूह चुनाव अथवा अन्य उपयुक्त प्रणाली के द्वारा इन दो उम्मीदवारों में से एक का चयन कर सकते थे।

जून 1984 में कॉफी नियम 1955 में संशोधन के अनुसार, कॉफी उत्पादाकों का कुल प्रतिनिधित्व 10 का बनाये रखते हुए, जबकि छोटे कॉफी उत्पादाकों का प्रतिनिधत्व 5 से बढ़कर 7 हो गया है, बोर्ड/सरकार द्वारा अन्य पहलुओं के बारे में निर्णय नहीं लिया गया था (सितम्बर 1991)। बोर्ड की कार्यात्मक कुशलता तथा काफी उत्पादकों के हित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार, काफी अधिनियम की धारा 4(2)(ग) के अंतर्गत कॉफी बोर्ड के सदस्यों को मनोनीत करने की अपनी शक्तियों का नि:संदेह प्रयोग करेगी।

बोर्ड, ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने तथा बोर्ड के ऐसे अधिकारों का पालन करने, जैसे कि बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किए जायें, प्रतिवर्ष स्थायी समितियां नियुक्त करता है। समितियां ये हैं:- (क) कार्यकारी समिति, (ख) विपणन समिति, (ग) प्रचार समिति, (घ) अनुसंधान समिति (ड.) कॉफी गुणवत्ता समिति, (च) विकास समिति । बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट अनुबंद्ध "क" में दिया गया है।

अधिनियम में वर्ष में दो बार बोर्ड की बैठक करना अपेक्षित है। 1985-90 के दौरान, बोर्ड ने प्रतिवर्ष दो से चार बार बैठकें कीं।

4. निधियों की व्यवस्था

बोर्ड, दो पृथक निधियों, एक सामान्य निधि तथा एक पूल निधि का अनुरक्षण करता है। सामान्य निधि वित्तीय वर्ष के आधार पर अनुरक्षित की जाती है तथा पूल निधि कलैंडर वर्ष आधार पर अनुरक्षित की जाती है।

4.1 पूल निधि

पूल निधि में आधिक्य पूल से बेची गई कॉफी की बिक्री प्राप्तियां क्रेडिट की जाती है तथा उत्पादकों द्वारा सुपुर्द की गई कॉफी, भंडार की लागत, कॉफी के विपणन तथा संसाधन के संबंध में उत्पादकों को भुगतान करने के लिए प्रयुक्त की जाती है कॉफी नियमावली के नियम 38 क के अंतर्गत बोर्ड को इस निधि की प्रत्याभूति पर उधार लेने की अनुमति है।

निम्न सारणी में 1984-85 के मौसम से 1988-89 के मौसम तक कुल बिक्री प्रापण तथा व्यय के संक्षिप्त ब्यौरे दिये गये हैं:

विवरण	31.12.1985 को समाप्त वर्ष (1984-85 का मौसम)	31.12.1986 को समाप्त वर्ष (1985-86 का मौसम)	31.12.1987 को समाप्त वर्ष (1986-87 का मौसम)	31.12.1988 को समाप्त वर्ष (1987-88 का मौसम)	31.12.1989 को समाप्त वर्ष (1988-89 का मौसम)
			(करोड़ रुपयों में)		
क. आय					
(क)इंसटैंट कॉफी सहित कॉफी की बिक्री	318.16	425.94	339.36	385.52	497.71
(ख)भंडार में वृद्धि(+)/ कमी (-)	(+) 84.39	(-)45.84	(+)75.37	(-) 29.63	(+)29.72
(ग)अन्य आय	1.10	1.72	2.81	0.75	2.48
जोड़	403.65	381.82	417.54	356.64	529.91
ख. व्यय					
(क)पूल एजेंटों को पारिश्रमिक	5.24	5.00	5.61	5.45	8.59
(ख)विपणन का प्रशासन	2.91	3.67	3.79	4.41	4.89
(ग)विपणन	3.75	3.25	3.70	3.66	4.77

(घ)इंसटैंट कॉफी का विपणन	5.49	2.89	0.12	8.50	24.33
(ड.)बैंक ब्याज,बीमा आदि	4.10	0.31	0.68	2.61	5.61
(च)उपकर, शुल्क तथा कर	36.80	39.90	24.64	24.87	31.26
जोड़	58.29	55.02	38.54	49.50	79.45
ग. बिक्री से व्यय की प्रतिशतता	18.3	12.9	11.3	12.8	16.0
घ. उत्पादकों को संवितरित योग्य राशि (क-ख)	345.36	326.80	379.00	307.14	450.46
ड. अवधि के दौरान उत्पादकों को संवितरित राशि	249.82	260.06	265.50	223.14	327.88
च. तुलनपत्र को हस्तांतरित असंवितरित राशि(घ-ड)	95.54	66.74	113.50	84.00	122.58

मौसम : जुलाई-जून

4.2 सामान्य निधि

इस निधि में अधिनियम् की धारा 13(1)के अंतर्गत मुख्यतः सरकार से प्राप्तियां सरकार से प्राप्त कर्जे, सहायत अनुदान, कर्जों की वसूलियां तथा विविध प्राप्तियां शामिल हैं तथा इसे बोर्ड के प्रशासन पर बोर्ड के व्ययों, विकासात्मक तथा विस्तार गतिविधियों, कृषि एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ऋणों के संवितरण, सरकार को कर्जों की अदायगी ब्याज प्रभारों उत्पादकों को परिदान को पूरा करने में प्रयुक्त किया जाता है।

निम्न तालिका 1985-86 से 1989-90 तक सामान्य निधि के संबंध में प्राप्तियों तथा भुगतानों के संक्षिप्त विवरण दर्शाती है:

(लाख रुपयों में)

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
(क) प्राप्तियां					
अथ शेष	508.85	*287.94	306.21	261.50	231.93
अधिनियम के अनुच्छेद 13(1)के अंतर्गत सरकार से प्राप्त धन	0.05	91.46	10.00	220.00	250.00
सहायक अनुदान	439.40	273.10	481.00	268.50	240.50
परिदान	183.00	172.00	155.00	39.15	80.00
सरकार से प्राप्त कर्जे	280.00	209.71	180.00	402.00	510.00
कर्जों की वसूली	379.92	425.55	327.63	399.03	290.77
प्राप्त ब्याज	147.76	157.95	164.61	187.84	151.72
विविध प्राप्तियां	972.81	946.62	867.90	813.54	835.81
बोर्ड के पास विविध निक्षेप	23.85	10.57	17.18	9.69	13.74
विविध उचंत	29.46	66.54	29.80	24.72	47.64
अग्रिमों की पुर्नअदायगी	-	-	0.46	-	5.98
जोड़	2,965.10	2,641.44	2,539.79	2,625.97	2,658.09
(ख) भुगतान					
प्रशासन	63.28	83.70	90.01	102.30	112.22
प्रोत्साहन प्रचार	23.60	26.70	30.56	34.22	40.12

- भारत में	1,166.13	889.70	833.09	777.46	773.88
- भारत से बाहर	5.37	6.58	4.10	15.03	7.04
विस्तार	209.00	227.83	206.72	225.87	227.41
कल्याण अनुदानें	14.87	14.80	44.33	15.00	-
विविध उचंत	-	0.60		-	-
कर्जों का संवितरण	493.80	504.44	454.03	555.59	533.47
पौधारोपकों को परिदान	173.74	156.07	93.22	73.15	60.73
सरकार को कर्जों की पुर्नअदायगी	262.17	108.15	127.32	199.25	220.47
ब्याज प्रभार	218.24	232.62	248.88	273.57	290.78
योजनागत परियोजनाएं					
- योजनागत	33.11	70.70	130.37	102.44	104.67
- योजनेतर	11.98	13.23	15.66	16.53	14.36
वसूली योग्य अग्रिम	1.44	0.11	-	3.63	-
अंत शेष	*288.37	306.21	261.50	231.93	272.94
योग	2,965.10	2,641.44	2,539.79	2,625.97	2,658.09

* 1981-82 के लेखों से संबंधित गलतियों को ठीक करने के कारण 0.43 लाख रुपए कम किए।

5. पूलिंग

कॉफी की खेती कर्नाटक, केरल तथा तामिल नाडू के परम्परागत क्षेत्रों में तथा कुछ हद तक आंध्र प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा उड़ीसा के गैर परम्परागत क्षेत्रों में सीमित है। मार्च 1990 के अंत तक खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र अराबिका कॉफी के अंतर्गत 1.23 लाख है. तथा राबुस्टा कॉफी के अंतर्गत 1.25 लाख है जो कि दो मुख्य आर्थिक उपवर्ग हैं सहित, 2.48 लाख हैक्टेयर (2.29 लाख है. परम्परागत तथा 0.19 लाख है.. गैर परम्परागत क्षेत्रों में) था। 1985-90 के दौरान कॉफी का

कुल औसत वार्षिक उत्पादन दोनों किस्मों में लगभग बराबर अनुपात में 1.50 लाख टन था।

जबकि कॉफी उत्पादन की, 30 से 35 प्रतिशत खपत घरेलू बाजार में होती है, शेष का निर्यात किया जाता है। कॉफी के 1.24 लाख पंजीकृत उत्पादक थे (मार्च 1990) जिनमें से कॉफी खेती के अंतर्गत 10 है. क्षेत्र या कम वाले 98 प्रतिशत लघु उत्पादक थे।

अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत किसी भी उत्पादक को बोर्ड द्वारा उसकी सम्पदा को आबंटित आंतरिक विक्रय कोटा(आ.वि.को.) से अधिक, काफी घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति नहीं है। परन्तु 1940-41 से 1943-44 तक को छोड़कर कभी भी उत्पादकों को आबंटित नहीं किया गया था तथा तदनुसार, उत्पादकों द्वारा सारी उत्पादित कॉफी बोर्ड को अभ्यर्पित कर दी जाती है। आगे अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा या इसके प्राधिकरण के अतिरिक्त, कॉफी निर्यात नहीं की जा सकती है। इस प्रकार कॉफी सम्पदा द्वारा उत्पादित सारी कॉफी आंतरिक पूल के लिए बोर्ड को सुपुर्द की जानी पड़ती है (केवल उत्पादकों के अपने उपभोग तथा बीज के उद्देश्य हेतु छोड़ कर)। बोर्ड इस प्रकार प्राप्त हुई काफी का उसके प्रकार तथा किस्म के आधार पर उसका श्रेणीकरण करना है तथा उसका मूल्य निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार बोर्ड को कॉफी की सुपुर्दगी के पश्चात्, स्वामी के पास, उस कॉफी के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत उस का भुगतान लेने के अधिकार के अतिरिक्त, कोई अधिकार नहीं होगा। पूल में प्राप्त हुई सारी कॉफी के भंण्डारण, संसाधन तथा विपणन के लिए कोई बोर्ड उत्तरदायी है।

इस संबंध में, यह उल्लेख योग्य है कि 1986 में ए.एफ.एफ. ने सिफारिश की कि "अनिवार्य पूलिंग को समाप्त किया जाना चाहिए तथा आ.वि.को. आरंभ किया जाना चाहिए"। यह कॉफी बोर्ड की भूमिका को "वास्तविक से राजकीय नियंत्रण" में बदल देगा। आं.वि.को. के लाभों को क्रमिक रुप से देने के उद्देश्य से ए.एफ.एफ. ने यह भी सिफारिश की कि "उत्पादकों को आं.वि.को. को सीधे निपटाने अथवा इसे कॉफी बोर्ड के साथ मिला देने का विकल्प देने की अनुमति दी जा सकती है"।

बाद में अक्तूबर 1986 में सरकार ने रबड़ बोर्ड, कॉफी बोर्ड तथा चाय बोर्ड के कार्यों, कार्यकलापों तथा लागत प्रभावोंत्पादकता की संवीक्षा करने के लिए एक सदस्यीय समिति (ए.स.स.) नियुक्त की। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अक्तूबर 1987 को प्रस्तुत की तथा अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की कि " प्रारंभ से इस शर्त के अधीन कि उत्पादक अग्रिम में अपने विकल्प के प्रयोग की घोषणा करें, स्वयं ही अपने कोटे को संसाधित करवायें तथा बोर्ड द्वारा निलामी में बिक्री हेतु संसाधन के पश्चात प्राप्त समस्त श्रेणियों को प्रस्तुत करें, उत्पादकों को 10 प्रतिशत के ऐच्छिक

कोटे को अनुमत किया जाये।" भारतीय प्रबंधन संस्थान (भा प्र सं) कलकत्ता ने, भारत में कॉफी विपणन व्यवस्था पर किए गए अध्ययन में फरवरी 1991 में सिफारिश की कि "उन उत्पादकों को जो कि ऐसा करने में विश्वस्त अनुभव करते हैं, को अपने उत्पादों को विपणन करने का अधिकार देकर, कॉफी की वैकल्पिक पूलिंग प्रणाली, सस्थानों को विकसित करेगी जो कि उद्योग के लिए वांछित नीति परिवर्तनों को प्राप्त करने में बहुत अधिक सहायक होगी"। इन विषयों पर सरकार/कॉफी बोर्ड द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था (सितम्बर 1991)।

इसके साथ जुड़ा हुआ लघु उत्पादकों द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना का प्रश्न है। लोक लेखा समिति ने अपनी 127 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी "कि इस दिशा में बोर्ड को अपने प्रयास दो गुने कर देने चाहिए ताकि लघु उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा पर्याप्त रुप से मदद की जा सके।" ए.एफ.एफ. द्वारा यह सिफारिश भी की गई थी कि "कॉफी बोर्ड सहकारी समितियों की स्थापना के लिए लघु उत्पादकों की मदद पर विचार कर सकता था। ये सहकारी समितियां वित्तीय दवाबों को सहन करने तथा अच्छी कीमतें प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में होंगी। इसी प्रकार की सिफारिश भा.प्र.सं. कलकत्ता द्वारा फरवरी 1991 में भी की गई थी। यह कहा गया था कि "विशेष रुप से लघु उत्पादकों तथा सामान्य रुप में उद्योग की हितों की सुरक्षा के लिए अधिक परिमेय तथा लम्बी अवधि समाधान, उचित सहकारी संस्थानों का विकास करना है।"

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि अनिवार्य पूलिंग प्रणाली को चुनौती देते हुए कुछ उत्पादकों से उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया था तथा मामला निर्णयाधीन था तथा सरकार कुछ और करने के पूर्व उच्चतम न्यायालय के मामलों के नतीजे की प्रतीक्षा कर रही थी। तथापि, यह कहा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय में मुकदमें नवम्बर 1990 तथा जनवरी 1991 में दायर किए गए थे।

6. कॉफी का उत्पादन

6.1 1989-90 की अवधि के यूनाइटेड स्टेट्स के कृषि विभाग द्वारा कॉफी का विश्व उत्पादन 93.80 मिलियन बैग (56.28 लाख टन) अनुमानित किया गया था। भारत ने 1989-90 के दौरान विश्व के उत्पादन का 2.4 प्रतिशत बनाते हुए 1.50 लाख टन कॉफी का उत्पादन किया। पिछले दशक में कॉफी के विश्व उत्पादन में लगभग 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई जबकि उपभोग में वृद्धि लगभग 1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष हुई। इसके परिणाम स्वरुप विश्व भर में अधिक भंडारण हुआ तथा विश्व व्यापार में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण कॉफी की कीमत तीव्र गति से कम हुई।

कॉफी की खेतीं मुख्यतया कर्नाटक, केरल तथा तामिलनाडू के परम्परागत कॉफी उत्पादक

राज्यों, तथा कुछ हद तक आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के गैर परम्परागत राज्यों में की जाती है।

लघु उत्पादक (10 हैक्टेयर से कम जोत क्षेत्र वाले) कुल उत्पादकों का 98 प्रतिशत बनते हैं। लघु उत्पादक कॉफी उत्पादक क्षेत्र के 61 प्रतिशत के स्वामी हैं तथा कुल उत्पादन में 52 प्रतिशत का अंशदान करते हैं। लघु उत्पादक अधिकतर मात्रा में रोबस्टा किस्म, कुल रोबस्टा उत्पादन का 60 प्रतिशत, का उत्पादन करते हैं।

भारत में कॉफी उत्पादन मुख्यतया विश्व बाजार से प्रभावित होता है क्योंकि कॉफी उत्पादन का, घरेलू 58,000 टन के आस पास खपत सहित लगभग 2/3 हिस्सा कॉफी का निर्यात होता है। घरेलू तथा विश्व बाजार में कॉफी की मांग का झुकाव मृदु कॉफी अर्थात अराबिका के लिए है। इसमें रोबस्टा की अपेक्षा अराबिका को बढावा देने के लिए विकास नीतियों का प्रतिपादन निहित होगा।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि राबस्टा के मुकावले अराबिका की खेती प्रोत्साहित करने के लिए अराबिका के मूल्य विभिन्नता स्तर पर अधिक स्थान दिया गया था तथा अंतराष्ट्रीय कॉफी बाजार के मध्यनजर अराबिका के लाभों का विस्तार विभाग द्वारा प्रचार किया गया था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मूल्य विभिन्नता स्तर पर अराबिका को दिए गए अधिमान्य, कॉफी की अन्य श्रेणियों के संबंध में अराबिका के विपणन निष्पादन पर आधारित हैं। तथापि, उन क्षेत्रों में जहां यह संभव है मंत्रालय ने राबस्टा को अराबिका द्वारा बदले जाने के लिए समुचित कार्यवाही नहीं की है।

6.2 कृषि पर राष्ट्रीय आयोग (1974) ने 2000 ई. तक दो लाख टन के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने का प्रस्ताव किया। इस आधार पर, राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (रा.प्रा.आ.अ.प.) ने 1976 में संदर्श योजना तैयार की तथा संदर्श योजना में रखे गए दिशा निर्देशों के आधार पर छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई थीं। संदर्श योजना रा प्रा आ अ प द्वारा, 1985-2000 तक की अवधि के लिए 2000 ई.पू. तक (घरेलू खपत 0.85 लाख टन, निर्यात 1.30 लाख टन) कॉफी क्षेत्र की वृद्धि तथा उत्पादकता में सुधार द्वारा उपलब्ध 2.15 लाख टन के उत्पादन स्तर को लक्षित करते हुए, संशोधित की गई थी।

रा प्रा आ अ प ने 1976 में परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी के अंतर्गत खेती क्षेत्र को बढौतरी तथा आधप्रदेश, उड़ीसा इत्यादि तथा उत्तर पूर्वी के गैरपरम्परागत क्षेत्रों में भी कॉफी पौधारोपण के सुधार के लिए सिफारिश की। तदनुसार, बोर्ड ने रा प्रा आ अ प की सहायता से क्षेत्र के विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए 1976 के दौरान संदर्श योजना तैयार की। छठी योजना तक योजनागत

लक्ष्यों के प्रति इन उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रगति की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा इसकी 127वीं रिपोर्ट में की गई थी। कमेटी ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, विशेष कर गैर परम्परागत क्षेत्रों में धीमी प्रगति तथा घटिया निष्पादन पर टिप्पणी की तथा दोहराया कि उत्पादकता वृद्धि तथा कॉफी खेती के विस्तार दोनों में कॉफी के विकास के लिए योक्तिक कार्यक्रमों को तैयार करके गैर परम्परागत क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बोर्ड को विशेष प्रयास करने चाहिए।

6.2.1 निम्न तालिका छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षेत्र के विस्तार हेतु लक्ष्यों तथा उनके प्रति उपलब्धियों को प्रकट करती है:

में विस्तार	छठी योजना		सातवीं योजना	
	योजनागत लक्ष्य	प्राप्त किए गए	योजनागत लक्ष्य	प्राप्त किए गए
			(हैक्टेयरों में)	
परम्परागत क्षेत्र	15,500	15,405(99%)	15,000	9,693(65%)
गैर परम्परागत क्षेत्र	22,900	10,043(44%)	15,000	7,634(51%)
योग	38,400	25,448(66%)	30,000	17,327(58%)

यह देखा जाएगा कि योजनागत लक्ष्यों के संदर्भ में गैर परम्परागत क्षेत्र में अत्यधिक कमी थी। बोर्ड ने 1987 में कॉफी हेतु लम्बी अवधि उत्पादन तथा विपणन नीति के प्रतिपादन के लिए एक समिति गठित की थी। स्थिर घरेलू खपत तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में परिवर्तित परिस्थितियों के मध्यनजर, समिति ने 1988 में सिफारिश की थी कि क्षेत्र का और अधिक विस्तार न किया जाए। यह सिफारिश बोर्ड द्वारा 1990 में स्वीकार कर ली गई थी।

सितम्बर 1991 में मंत्रालय ने गैर परम्परागत क्षेत्रों में कम से कम उत्पादन को, कॉफी पौधारोपण की अपर्याप्त प्रबंधकीय पद्धित, राज्य सरकारों से पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त न होने, कार्यान्वयन ऐजेंसियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत सहायता की अनुपलब्धि, आदि पर आरोपित किया।

6.2.2 कॉफी की सातवीं प्रक्षेपण योजना में 1985-86 मौसम हेतु 1.46 लाख टन के उत्पादन को

योजना के अंत में अर्थात 1989-90 को, 5.5 प्रतिशत के वार्षिक उत्पादन दर से 1.80 लाख टन तक वृद्धि करने पर विचार था। उत्पादन की द्वैवार्षिक प्रवृति के कारण उत्पादकता वर्षानुवर्ष घटती बढ़ती है तथा उत्पादन स्तर में वृद्धि अथवा कमी का आंकलन किए जाने के लिए दो निरंतर वर्षों का औसत लिया हुआ है। वास्तव में प्राप्त किए गए उत्पादन स्तर निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं:

वर्ष	उत्पादन (लक्ष्य)	वास्तविक उत्पादन	द्विवार्षिक उत्पादन औसत
	(टनों में)		
1980-81	128,700	116,646	134,373
1981-82	135,800	152,100	
1982-83	143,250	129,952	117,490
1983-84	151,150	105,029	
1984-85	159,450	195,110	158,780
1985-86	146,000	122,450	
1986-87	154,000	192,260	157,630
1987-88	162,000	123,000	
1988-89	171,000	215,000	167,500
1989-90	180,000	120,000	

1980-82 की अवधि से 1988-90 के दौरान कॉफी के औसत उत्पादन में वृद्धि, 2.5 प्रतिशत दर की औसत वार्षिक वृद्धि दशति हुए लगभग 33,000 टन थी।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि लक्ष्यों के प्रति वास्तविक केवल विकल्पी भरपूर तथा कम स्तरों पर ही उपलब्ध होगें तथा आगे लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियां अंतिम आधार के बजाए औसत आधार पर विचार की जानी होंगी। मंत्रालय ने छठी तथा सातवीं योजना अवधियों हेतु, समस्त योजना अवधि के लिए प्राप्त वास्तविक औसत उत्पादन के प्रति, औसत उत्पादन लक्ष्यों से तुलना करते हुए, पुनः क्रमशः 98 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत के उपलब्धि स्तरों को आकलित किया। इस संबंध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं:

(i) पुनरीक्षण में तुलनाएं, (कमी के मौसम तथा भरपूर फसल मौसम) के द्विवर्षीय उत्पादन आंकड़ों पर आधारित है जो हम समझते हैं, कॉफी के उत्पादन में वृद्धि हेतु अधिक मान्य संकेतक है।

(ii) मंत्रालय ने संकेत दिया है कि छठी तथा सातवीं योजना अवधियों हेतु औसत उत्पादन क्रमशः 1,40,160 तथा 1,54,000 टन था। यह छठी योजना से सातवीं योजना अवधि में 10 प्रतिशत की वृद्धि, अर्थात 5.5 प्रतिशत लक्षित वार्षिक वृद्धि दर के प्रति 2 प्रतिशत, दर्शाता है।

(iii) 1985-86 तथा 1986-87 हेतु क्रमशः 1,46,000 तथा 1,54,000 टनों के लक्ष्य (सातवीं योजना अवधि के प्रथम दो वर्ष) छठी योजना अवधि के अंतिम वर्ष 1984-85 हेतु 1,59,450 टनों के लक्ष्य से भी कम थे।

6.2.3 यद्यपि, 1989-90 के लिए 1.80 लाख टन का सातवीं योजना का लक्ष्य 1988-89 में स्वयं बढ़ गया था, परवर्ती वर्ष 1989-90 में उत्पादन केवल 1.20 लाख टन हुआ था जोकि 1983-84 से प्राप्त किया गया निम्नतम उत्पादन था। 1990-91 अवधि हेतु फसल अनुमान 1.70 लाख टन रखा गया था। इस प्रकार, कुल कॉफी उत्पादन, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में कॉफी घटता-बढ़ता रहा था। इस संबंध में, लो ले स ने अपनी चौथी रिपोर्ट में टिप्पणी की थी: "समिति मंत्रालय के विचार से सहमत है कि कॉफी एक परिवार्षिक फसल होने के नाते, उत्पादन का परिमाप मुख्यतः मौसमी लहरों तथा चक्रीय विभिन्नता के अधीन है। मंत्रालय को उत्पादन को स्थिर रखने तथा सुधार करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के द्वारा पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।" मंत्रालय ने इस सिफारिश के उत्तर में इंगित किया कि वह इस संबंध में कॉफी की खेती में वैयक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण परियोजना, उत्पादकों को स्वस्थ्य उच्च उपज के बीजों का आबंटन तथा बोर्ड के अनुसंधान प्रभाग को सुदृढ करने जैसी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन पहले से ही कर रहा था।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में दोहराया कि वह समाकार अधिक उपज वाली कावेरी जैसी फसल के प्रचार, अपनी भविष्य की सभी सामग्री के लिए ऊतक संवर्धन प्रणाली के प्रचार, डिप सिंचाई जैसी पद्धतियों की लोकप्रियता प्रस्तावित करने, इत्यादि, द्वारा उत्पादन स्थिर करने के प्रयास कर रहा था। इन उपायों के बावजूद भी कुल कॉफी उत्पादन का एक मौसम से दूसरे मौसम के अत्यधिक घटना बढ़ना जारी रहा।

6.3 कॉफी उत्पादकता 1980-82 के दौरान 699 कि.ग्रा. प्रति है. से 1986-88 में 731 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर तक निम्नानुसार बढ़ गई थी:

वर्ष	अराबिका		रोबस्ता		योग	
	वार्षिक औसत	द्विवार्षिक औसत	वार्षिक औसत	द्विवार्षिक औसत	वार्षिक औसत	द्विवार्षिक औसत
					(प्रति हैक्टेयर कि.ग्रा)	
1980-81	625		623		624	
		684		715		699
1981-82	743		806		774	
1982-83	734		557		646	
		704		546		576
1983-84	675		535		505	
1984-85	759		1107		933	
		713		790		751
1985-86	666		472		569	
1986-87	827		963		895	
		715		747		731
1987-88	603		531		567	
1988-89	901	-	1078	-	990	-

टिप्पणी: पैदावार फल वाले क्षेत्र के संदर्भ में है। 1989-90 हेतू आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

7. **संसाधन**

अधिनियम की धारा 27 में कॉफी का संसाधन, लाईसेंस संसाधन स्थापनाओं में किया जाना अपेक्षित है। वास्तविक व्यवहार में संसाधन कार्य, बोर्ड के साथ उचित समझौते के अंतर्गत विभिन्न क्षमताओं में सेवाओं को हाथ में लेते हुए उत्पादकों तथा बोर्ड के बीच महत्वपूर्ण सम्पर्क के रूप में कार्य करते हैं जिस में ये सम्मिलित है:-

(क) संग्रहण एजेंट के रूप में कॉफी का संग्रहण करना;

(ख) पूलिंग एजेंट के रूप में कॉफी को प्राप्त करना तथा सुरक्षित रखना;

(ग) जहां आवश्यक हो सुखाना, संसाधित करना तथा अपने संसाधन कार्यों में कॉफी का वर्गीकरण करना;

(घ) कॉफी का भंडारण तथा बोर्ड के निर्देशों के अंतर्गत प्रेषण हेतु इसे जारी करना;

(ड.) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना; तथा

(घ) उत्पादकों से संबंधित भंडार तथा भुगतान हेतु उचित लेखे प्रस्तुत करना।

कॉफी लघु उत्पादकों द्वारा या तो विभागीय रुप से संचालित संग्रहण डिपो को अथवा पूल एजेंट की संग्रहण एजेंसी डिपो को सुपुर्द की जाती है। बड़े उत्पादक कॉफी संसाधन कार्यों को सीधे ही सुपुर्द कर देते हैं। बड़े उत्पादकों से प्राप्त की गई असंसाधित कॉफी, आद्रता अंश सुनिश्चित करने के लिए, मात्रा के कम से कम पांच प्रतिशत की सीमा तक का नमूना तोल की जाती है। छोटे उत्पादकों के मामलों में कॉफी का प्रति फारलिट (40 लीटर) का नमूना तोल विभिन्न थैलियों से यों ही लिए गए कुछ फारलिटों के तोल द्वारा ज्ञात किया जाता है।

7.1 संसाधन हेतु उत्पादक, कॉफी की सुपुर्दगी पार्चमेंट अथवा चैरी के रुप में संसाधन कार्यों को सुपुर्द करते हैं। संसाधित कॉफी, वर्गीकृत तथा पैदा की गई मात्रा दशति हुए प्रत्येक उत्पादक के प्रति तोली तथा अभिलेखित की जाती है। बोर्ड ने समय-समय पर जारी अपने परिपत्रों में संसाधित कॉफी के उत्पादन के मानक निर्धारित किए, जिन्हें कॉफी की प्रत्येक किस्म हेतु प्राप्त किया जाना चाहिए। मानकों में अराबिका पार्चमेंट (पौधारोपण), अराबिका चैरी तथा सुबस्ता चैरी की क्रमशः 18.37, 47.48 तथा 49.03 प्रतिशत की प्रक्रिया हानियों को सम्मिलित करते हैं। तदनुसार कॉफी की विभिन्न किस्मों हेतु मानक उत्पादन निम्नानुसार हैं:-

	अनाभिसाधित	अभिसाधित
अराबिका पार्चमेंट (पौधारोपण)	1225 कि.ग्रा.	1000 कि.ग्रा.
अराबिका चैरी	1904 कि.ग्रा.	1000 कि.ग्रा.
राबस्ता चैरी	1962 कि.ग्रा.	1000 कि.ग्रा.

तथापि, बोर्ड द्वारा पूल एजेंटों के साथ किए गए अनुबंध कॉफी के लिए किए उत्पादन मानक निर्धारित नहीं करते हैं। क्योंकि बोर्ड, उत्पादक के प्रति लेखाबद्ध की गई संसाधित कॉफी के संदर्भ में

भुगतान करता है, उत्पादन में कमी उसको किए गए भुगतान को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करेगी। उत्पादक जिसको उसकी कॉफी से कम उत्पादन से हानि पहुंची है के लिए कोई अनुरोध की सुविधा नहीं है।

22 संसाधित कार्यों द्वारा बोर्ड को दी गई कॉफी की "प्राप्ति तथा निपटान" की सामायिक रिपोर्टों का, 1986-87,1987-88,1988-89 के कॉफी मौसमों हेतु लेखापरीक्षा में पुनरीक्षण किया गया था। अराबिका पार्चमेंट के संबंध में 12 से 15 संसाधित कार्यों ने 1 से 5 प्रतिशत के बीच कम उत्पादन प्रदर्शित किया तथा 1 से 6 संसाधित कार्यों ने 5 प्रतिशत से अधिक, कम उत्पादन प्रदर्शित किया। अराबिका चेरी के संबंध में, 2 से 9 संसाधित कार्यों ने 1 से 5 प्रतिशत के बीच कम उत्पादन प्रदर्शित किया तथा 1 से 2 संसाधन कार्यों ने 5 प्रतिशत से अधिक उत्पादन प्रदर्शित किया। राबस्ता चेरी के संबंध में, 1 से 4 संसाधित कार्यों ने 1 से 5 प्रतिशत के बीच तथा 2 से 5 संसाधित कार्यों ने 5 प्रतिशत से अधिक उत्पादन दर्शाया।

1986-87 से 1988-89 के दौरान नमूना जांच किए गए 22 संसाधित कार्यों में 5509.28 टन का कम उत्पादन था जिसके परिणामस्वरुप उत्पादकों के 11.23 करोड़ रु. की हानि हुई जैसे कि नीचे दशयि गये हैं:

	अराबिका पार्चमेंट			अराबिका चेरी			राबस्ता चेरी		
	कम उत्पादन	प्रति 50 कि.ग्रा. की दर**	कुल मूल्य	कम उत्पादन	प्रति 50 कि.ग्रा. की दर**	कुल मूल्य	कम उत्पादन	प्रति 50 कि.ग्रा. की दर**	कुल मूल्य
1986-87	1735.74	903.32	313.59	139.51	768.38	21.44	203.69	731.46	29.80
1987-88	764.00	1072.93	164.00	169.10	1014.00	34.29	210.39	891.46	37.51
1988-89	1070.38	1255.42	268.76	342.73	1053.35	72.21	873.74	1039.07	181.58
	3570.12		746.35*	651.34		127.94*	1287.82		*248.89

मात्रा : टनों में

मूल्य : लाख रुपयों में

* तीनों का जोड़ 1123 लाख रुपये

** ग्रहण किए गए 50 कि.ग्रा. की दरें वहीं हैं जो बोर्ड द्वारा सुसंगत वर्षों के लिए अतः भंडार के मूल्यांकन के लिए ग्रहण की गई थीं।

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है बोर्ड द्वारा अपनाये गये मानकों के अनुसार कॉफी की निश्चित उत्पादन के लिए बोर्ड द्वारा संसाधक के साथ किए गए अनुबंध में कोई शर्त शामिल किए जाने के अभाव में, प्रत्याशित उत्पादन के लिए संसाधनकर्ताओं को उत्तरदायी ठहराना बोर्ड के लिए संभव नहीं है। संसाधनकर्ताओं के साथ अनुबंध में एक उपयुक्त प्रावधान को शामिल करने के विचार से मामले के पुनरीक्षण होने की आवश्यकता है ताकि उत्पादक इस प्रकार की हानियां संसाधकों से पूरी की जा सकें।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि वर्षा, क्षेत्रीय पारिस्थिक जलवायु दशयि, फसल पैदावार में तेजी तथा कृषि विज्ञान के स्तर पर निर्भर करते हुए, उत्पादन में न केवल वर्षानुवर्ष अंतर रहता है अपितु उसमें, एक उत्पादक से दूसरे में, एक सम्पदा से दूसरे मं एक क्षेत्र से दूसे मं कीटनाशक के स्तर, छिडकाव तथा श्रम निवेश आदि सहित उन्हीं कारणों, अर्थात एक वर्ष में वर्षा की मात्रा तथा फैलाव, क्षेत्र तथा अलग अलग सम्पदा की मिट्टी की अवस्थाएं, खेती में तीव्रता, प्रत्येक सम्पदा में अपनाये गये कृषि विज्ञान के स्तर से भी भिन्नता रहती है तथा, इसलिए, परिवर्तन सूत्र के संदर्भ में उपज निश्चित करना पूर्णतया ठीक नहीं हो सकता है। तथापि, मंत्रालय, "उपज पर हानिकी वसूली हेतु पूल एजेंन्टों के साथ परामर्श के साथ, पूल एजेंन्सी समझौते में प्रावधान करने पर विचार कर रही है, जो उपज में, परिवर्तन सूत्र में जो समस्त संबंधित कारकों के सावधानीपूर्ण निरीक्षण के बाद होता है, स्पष्टतः भारी विभिन्नता को दर्शाता है।"

7.2 बोर्ड 1987-88 के मौसम तक छोटे किसानों को उन द्वारा पूल के सुपुर्द की गई कॉफी के लिए भुगतान, संसाधन के बाद प्राप्त पैदावार के आधार पर अथवा असंसाधित कॉफी पर सुस्पष्ट आधार पर प्राप्त करने के विकल्प को अनुमत कर रहा था। सुस्पष्ट पूलिंग के मामले में असंसाधित कॉफी के लिए भुगतान, प्राप्त असंसाधित कॉफी की सैद्धांतिक गणना के लिए, बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों तथा सूत्रों के आधार पर किए गए थे। 1986-87 तथा 1987-88 फसल मौसमों के दौरान सुपुर्द की गई असंसाधित कॉफी, टनों में पैदावार इत्यादि के विवरण नीचे दिए गए हैं:

मौसम	पूल एजेंटों की संख्या	सुपुर्द की गई कच्ची कॉफी	प्राप्त पैदावार	ली जाने योग्य पैदावार	पैदावार में कमी	कम पैदावार के कारण हानि
		(टनों में)		(लाख रुपयों में)		
1986-87	17	21,352	10,082	11,855	1,773	261.60
1987-88	24	32,058	12,068	17,189	5,121	931.71
योग		53,410	22,150	29,044	6,894	1,193.31

यह अवलोकित किया गया है कि निर्धारित सूत्र के आधार पर 29,044 टन प्राप्ति योग्य के प्रति वास्तव में प्राप्त कॉफी की पैदावार 22,150 टन थी। निर्धारित सूत्र के आधार पर सुस्पष्ट आधार पर भुगतानों की प्रणाली को ग्रहण किए जाने से, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान कॉफी की विभिन्न किस्मों के लिए ग्रहण की गई औसत दर से 6,894 टन की कम पैदावार पर, 11.93 करोड़ रुपये की हानि हुई।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित सम्परिवर्तन सूत्र, वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित नहीं थे, अपितु पूर्व वर्षों में पैदावार की सांख्यीकीय औसत पर आधारित थे तथा तदनुसार बोर्ड ने पहले ही 1988-89 के मौसम से सुस्पष्ट आधार पर छोटे उत्पादकों द्वारा कॉफी के पूलिंग की प्रणाली समाप्त कर दी थी।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय होगा कि सम्परिवर्तन सूत्र दशकों से अस्तित्व में था तथा तदनुसार छोटे उत्पादकों को भुगतान विनियमित किए जाते थे। आगे, बिना किसी वैज्ञानिक सम्परिवर्तन मापदण्ड के, यह जानना संभव नहीं होगा कि कॉफी की एक विशिष्ट मात्रा से असंसाधित कॉफी की पैदावार क्या होनी चाहिए-एक कमी जो अभिशाधकों के विरुद्ध जा सकती थी।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि पैरा 7.1 के सामने इंगित, उत्पपद में अंतरों के लिए कारणों के अतिरिक्त छोटे उत्पादक कृषि विज्ञान के निम्न स्तर को अपनाया, जो एक अच्छी पैदावार नहीं देगा। इसके अतिरिक्त, सुस्पष्ट आधार पर एकत्र की गई छोटे उत्पादकों की कॉफी, उपज के आधार पर एकत्र की गई अन्य उत्पादकों की कॉफी के पूर्णतया संसाधित होने के बाद

संसाधित की गई थी तथा इससे प्राकृतिक कारणों से उपज में कमी हुई।

इस संबंध में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि संसाधन के लिए कॉफी को लेने में, समय अथवा अवधि के संदर्भ में, उपज में अत्यधिक हानियां दृष्टिगोचर नहीं हुई हैं।

7.3 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985) के प्रारंभ में 37 संसाधन कार्य थे। 1985-90 के दौरान, नये लाइसेंसों के आधार पर आठ नये संसाधित कार्य स्थापित किए गए थे। तीन संसाधित कार्यों के लाइसेंस 1990 में निरस्त/स्थगित कर दिए गए थे क्योंकि बोर्ड के सर्तकता प्रभाग/आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया था कि उन्होंने गलत तरीका अपनाया जिससे पूल निधियों का 164.44 लाख रुपये तक दुरुपयोग हुआ। कार्यरत 42 संसाधन ग्रहों में से सहकारी क्षेत्र में 1985 से पहले केवल पांच संसाधन ग्रहों को लाइसेंस दिए गए थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहकारी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी संसाधित कार्य स्थापित नहीं किया गया था (कर्नाटक में मार्च 1987 में सहकारी क्षेत्र में स्थापित एक संसाधन कार्यशाला को छोड़कर) यद्यपि 1985 में चौथी रिपोर्ट में लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष रुप से गैर परम्परागत क्षेत्र में और संसाधन कार्यों को स्थापित करने तथा यथासंभव उत्पादकों की संसाधन सहकारी समीतियां अविलम्ब स्थापित करने हेतु पुनरावृति की गयी थी। मंत्रालय द्वारा सितम्बर 1991 में यह बताया गया था कि उत्पादकों की संसाधन सहकारी समितियों को उन्नत करने हेतु बोर्ड की पहल के प्रति उत्पादकों की प्रतिक्रिया आशाजनक नहीं थी।

7.4 लोक लेखा समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट (1985-86)में यह दोहराया था कि "संसाधन क्षमता में वृद्धि हेतु एक व्यावहारिक योजना न केवल वर्तमान अंतराल को समाप्त करने बल्कि कॉफी के उत्पादन में भावी वृद्धियों को पूरा करने के लिए भी तैयार की जानी चाहिए"।

दिसम्बर 1988 के अंत में कुल उपलब्ध संसाधन क्षमता 1.55 लाख टन थी। 1989-90 के दौरान 19000 टनों के लिए नये लाइसेंस आगे जारी किए गए थे। 1991 के अंत तक संसाधन क्षमता को 1.87 लाख टन तक बढ़ाया जाना नियोजित था, लेकिन तीन संसाधित कार्यों के बंद होने को गिनती में लेने के बाद क्षमता 1.78 लाख टन होगी। इस संबंध में यह उल्लिखित किया जा सकता है कि कॉफी का कुल उत्पादन 1988-89 के मौसम में 2.15 लाख टन तथा 1989-90 ऋतु में 1.20 लाख टन था।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि जून 1991 के अंत में गैर बम्पर ऋतु में उपलब्ध कराई गई कुल संसाधन क्षमता 1.78 लाख टन थी। मंत्रालय के पुनः बताया कि बम्पर ऋतु में तकनीकी समिति की अनुशंसा पर आधारित कि बम्पर ऋतु में विद्यमान भंडारण क्षमता में 5 प्रतिशत

सह्य मात्रा जोड़ी जाने पर, क्षमता 1.99 लाख टन होगी।

तथापि, इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1988-89 एक बम्पर ऋतु के लिए, मंत्रालय द्वारा उल्लिखित एक बम्पर ऋत्रतु के लिए 1.99 लाख टन की क्षमता के प्रति, कुल कॉफी उत्पादन 2.15 लाख टन था।

7.5 जुलाई 1989 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी अनुबंध के अंतर्गत कोटा प्रणाली समाप्त कर दी गई थी जिससे निर्यात बाजार में तेज प्रतिस्पर्द्धा हुई। इससे कॉफी के प्रतिस्पर्द्धी बाजार के लिए संसाधन की अच्छी किस्म को बल मिला है जिसके लिए यह आवश्यक है कि संसाधित कार्यों में उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जाये।

इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि बीस संसाधित कार्यों ने संसाधन गति तेज करने हेतु इलैक्ट्रानिक सैपरेटर्स संस्थापित किए। पुनः संसाधन उपकरणों का पूरा आधुनिकीकरण छः संसाधित कार्यों में किया गया है तथा सहकारी क्षेत्र के दो संसाधित कार्यों में आधुनिकीकरण, प्रक्रिया अधीन है। यह इंगित करना तर्कसंगत होगा कि ए.एफ.एफ. ने अक्तूबर 1986 में यह अनुशंसित किया था कि संसाधित कार्यों में कृत्रिम उपकरण के लगाने के लिए कॉफी बोर्ड को पहल करनी चाहिए। तथापि सातवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1985-90 के दौरान बोर्ड द्वारा कोई पहल नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में उत्तर दिया कि आयातित संसाधित मशीनरी पर उत्पाद शुल्क की दर 90 से घटकर 60 प्रतिशत हो गई थी (जुलाई 1986) तथा इसने आधुनिकीकृत संचालन में कोई मामूली भूमिका नहीं निवाही है।

तथापि, मंत्रालय ने किसी प्रोत्साहन को इंगित नहीं किया है जो कि बोर्ड स्वयं आधुनिकीकृत संचालन के लिए उपलब्ध कराता है। किन्हीं विशिष्ट अध्ययनों के अभाव में, यह भी ज्ञात नहीं है कि उत्पाद शुल्क में कटौती ने आधुनिकीकृत संचालन को कहां तक योगदान दिया है।

7.6 कॉफी के विभिन्न ढेरों के संग्रहीकरण के कारण कोई हानि नहीं होनी चाहिए चूंकि संग्रहीकरण समरूप मिश्रण तैयार करने के लिए एक ही प्रकार तथा दर्जे की कॉफी के दो अथवा अधिक ढेरों को मिलाने की एक प्रक्रिया है।

तथापि, वर्ष 1985-86 से 1988-89 के दौरान संग्रहीकरण से 202 टन कॉफी के लिए हानियां 38.38 लाख रुपये परिकलित होती थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	संग्रहीकरण हानि
	(टन)
1985-86	28
1986-87	50
1987-88	68
1988-89	56
जोड़	202

मंत्रालय द्वारा सितम्बर 1991 में बताया गया था कि ये हानियां वास्तव में संग्रहीकरण हानियां नहीं हैं, परन्तु ह्रास के कारण भंडारण हानियां थी जो कि प्राकृतिक कारणों से उत्पादन के भंडारण में हुए थे। तथापि, हानियों का, मंत्रालय द्वारा भंडारण हानियों यदि कोई हों के मानदण्ड के संदर्भ में, औचित्य नहीं दिया गया है, यह स्पष्ट नहीं है कि संसाधन कार्यशालाओं द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किए गए "प्राप्ति तथा निपटान विवरणों" में संग्रहीकरण हानियों के रुप में इन हानियों को कैसे दर्शाया गया है।

7.7 उत्पादकों को भुगतान करते समय, बोर्ड उन पूल एजेंटों/संग्रहीकरण एजेंटों के पक्ष में, साख्यपत्र (सा प) जारी करता है, जिन्हें 3/10 दिन के अंदर भुगतान सम्पन्न करने के लिए अपेक्षित सीमा तक राशियां आहरित करना तथा क्रमशः लेखे पाक्षिक रुप से प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रक्रियाओं में प्रावधान है कि सा प खोले जाने से पहले निधियों के लिए मांग पत्र पूल एजेंटों/मंडलीय कार्यालयों द्वारा किए जाने चाहिए। पूल एजेंटों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे, इन्हें स्वीकार करने से पूर्व, बैंक विवरणों, वाऊचरों इत्यादि के साथ जाने हैं। मई 1989 के महीने के लिए नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा यह अवलोकित किया गया था कि 31.65 करोड़ रुपये की राशि को अंतर्गस्त करते हुए 74 मामलों में पूल एजेंटों/मंडलीय कार्यालयों से बिना समुचित मांगपत्रों के निधियां जारी कर दी गई थी। इसी प्रकार से, 6 मामलों में, मांग की गई राशियों से 1.48 करोड़ रुपये तक की अधिक राशि के अग्रिम जारी किए गए थे। यह देखा गया था कि किसी विशिष्ट प्राधिकारी के अभाव में, सम्बद्ध अनुभाग अधिकारी, सा.प. को खोलने को प्राधिकृत कर रहा था। फरवरी 1990 में ही, मौद्रिक मूल्य पर निर्भर करते हुए सा.प. खोलने में सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख करते हुए बोर्ड द्वारा

द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप एजेंटों ने अनाधिकृत रूप से बड़ी राशियां रखे रखी तथा अनाभिप्रेत लाभ प्राप्त किया।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि बोर्ड द्वारा सा.प. उत्पादकों से इसके लिए मांगपत्र प्राप्त किए बिना ही अदायगी में विलम्ब टालने के लिए इसके अपने प्रोत्साहन पर खोले गये थे।

मामलें के महत्व को देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी से संस्वीकृति प्राप्त करने के बाद सा.प. के निर्गम को समुचित रूप से विनयमन करने की तत्काल आवश्यकता है।

7.7.1 पूल एजेंट के साथ अनुबंधों का नवीकरण बोर्ड द्वारा वर्षवार आधार पर किया जाता है। कॉफी बोर्ड द्वारा अनुबंध में धाराओं के नियंत्रण तथा प्रवर्तन की सीमा पर निम्नलिखित अभ्युक्तियां की गई हैं:

(क) अनुबंध में प्रावधान है कि जब किसी संसाधन कार्यशाला द्वारा इसकी लाइसेंस क्षमता से अधिक कॉफी प्राप्त की जाती है, तो बोर्ड द्वारा निश्चित की गई सीमा से अधिक मात्रा, अन्य संसाधन कार्यशाला को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए, जैसा कि बोर्ड द्वारा निदेश दिए जायें। तथापि, वास्तविक व्यवहार में इसे प्रवर्तित नहीं किया जा रहा था तथा संसाधन क्षमता से अधिक संसाधन, कार्यशालाओं द्वारा भारी मात्रा में अपने पास रखी जानी अनुमत की गई थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	संसाधन कार्यों की संख्या	अधिक मात्रा (टनों में)
1986-87	14	78,891
1987-88	4	9,471
1988-89	19	138,576

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में उत्तर दिया कि जब यह महसूस किया गया कि संसाधन कार्यों में अधिसूचित क्षमता की तुलना में कॉफी की अधिक मात्रा प्राप्त कर ली थी, तो प्रयोग किए जाने हेतु यह केवल समर्थकारी प्रावधान था तथा इसके अतिरिक्त ऐसे संसाधन कार्यों से इस प्रकार की कॉफी के किसी अंतरण के प्रति इन संसाधन कार्यों में कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा प्रतिरोध हो सकता है। इससे आगे मंत्रालय ने बताया कि कुशल तथा लोकप्रिय संसाधक अन्यों की अपेक्षा अधिक

कॉफी प्राप्त करते हैं तथा उत्पादक कॉफी के ऐसे अंतरण को भी पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपनी कॉफी इस प्रकार के संसाधन कार्यों में विश्वास रखने के कारण सुपुर्द कर दी है।

इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक कॉफी के अंतरण के संबंध में अनुबंध में प्रावधान के गैर कार्यान्वयन, संसाधन कार्यों की अनुज्ञप्त क्षमता नियत करने के यथार्त उद्देश्यों को विफल कर देगा तथा संसाधन में निहित विलम्ब के विचार से संसाधित कॉफी की गुणवत्ता के लिए प्रतिकूल असर हो सकता है।

(ख) अनुबंध संसाधनकर्ता को, समय जिस तक कॉफी संसाधित की जानी है, घोषित पैदावार तथा कॉफी के श्रेणीकरण के लिए, उत्पादक के प्रति उतरदायी नहीं ठहराती। प्रतिकूल पैदावार के संबंध में संसाधनकर्ता के विरुद्ध अपील करने के लिए उत्पादक को कोई सुविधा नहीं है।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि प्रतिकूल निकासी के संबंध में संसाधकों के प्रति अभिवेदन करने के लिए उत्पादकों को इस प्रकार की कोई अपील सुविधा भी सुलभ नहीं है, तथापि उत्पादक, संसाधक द्वारा किए गए संसाधन की गुणवत्ता के संबंध में बोर्ड से शिकायत कर सकता है, जिसकी पूर्णरुप से बोर्ड द्वारा जांच पड़ताल की जाती है तथा जब खराब संसाधन अवलोकित होता है तो संसाधक के प्रति दण्डित कार्यावाही की जाती है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि "यह भी प्रस्तावित है कि क्या आने वाले 1991/92 के मौसम के दौरान कम निकासी के विषय पर संसाधकों से सलाह करने के पश्चात, पूल एजेंसी अनुबंध में एक धारा सम्मिलित की जा सकेगी"।

(ग) कॉफी की प्राप्ति, संसाधन, अभिरक्षा तथा सुपुदर्गी के लिए बोर्ड मुख्यतः संसाधन कार्यशालाओं पर निर्भर है। कार्यशालाओं के उपयुक्त संचालन तथा कॉफी भंडारणों के लेखे, विभिन्न रिपोर्टों, विवरणियों, संचालनों की देखरेख के लिए तैनात क्षेत्र कर्मचारियों तथा आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है। सभी विनिर्माण तथा व्यापार करने वालों की यह सामान्य आवश्यकता होती है कि लेखा वर्ष की समाप्ति से पहले भंडारणों का शत प्रतिशत वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन करें। इसके बजाए बोर्ड केवल संसाधन कार्यशालाओं द्वारा प्रमाणित किए गये तथा बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रमाणीकृत केवल वे ही जो मंत्रालय द्वारा सितम्बर 1991 में स्वीकार किए गए थे, शेषों के आधार पर केवल पूल निधि के वार्षिक लेखे ही पूरे कर रहा था। यह केवल फरवरी 1990 में हुआ था कि बोर्ड ने अपनी सतर्कता शाखा द्वारा, संसाधन कार्यशालाओं द्वारा रखे गये सभी भंडारणों का शत प्रतिशत प्रत्यक्ष सत्यापन कराने का निर्णय किया। इसके परिणाम अनुवर्ती पैराग्राफों में दशयि गये हैं।

7.8 संसाधन कर्ता "क" को, बोर्ड की ओर से संग्रहण, प्राप्ति, संसाधित तथा कॉफी भंडारण

रखने के लिए एक पूल एजेंट तथा संग्रहण एजेंट के रूप में 1985 में लाईसेंस दिया गया था। फरवरी 1986 में बोर्ड के सुरक्षा दस्ते की जानकारी में आया कि संसाधनकर्ता "क" के पूल एजेंसी डिपो, सभी प्रापत की गई कॉफी के लिए मानक जांच भार के आधार पर, अन्डरड्रिज के संबंध में बिना कटौती किए ही अदायगियां कर रहा था। बोर्ड ने फरवरी 1986 में संसाधनकर्ता के दिए गए आश्वासन पर कि वे सही प्रक्रिया का अनुसरण करेगा एक सौम्य विचार किया।

बोर्ड के सतर्कता खंड ने नवम्बर 1988 में कार्यशालाओं के अपने निरीक्षण के दौरान 3.08 लाख रुपये मूल्य की 23,346 कि.ग्रा. तक की मात्रा की असंसाधित कॉफी की कमी का पता लगाया। पुनः सतर्कता खंड द्वारा नवम्बर 1989 में भंडार का शत प्रतिशत सत्यापन किया गया था तथा यह पता चला था कि गोदाम में रखे गए भंडार कार्डों के प्रति 21240 कि.ग्रा. अराबिका पचमिंट कॉफी का कुछ अता पता नहीं था। बोर्ड ने जनवरी 1990 में संसाधन कर्ता से 4.10 लाख रुपये की वसूली तथा 0.50 लाख रुपये के जुर्माने के आदेश जारी किए थे। संसाधक से सितम्बर 1989 से अप्रैल 1990 के दौरान 7.68 लाख रुपये की वसूली किस्तों में की गई थी।

सतर्कता खंड द्वारा फरवरी 1990 में संसाधन कार्यशालाओं में सभी भंडारणों का एक और सत्यापन किया गया था जिससे 1988-89 के मौसम में 65283.50 कि.ग्रा. तथा 1989-90 के मौसम से संबंधित 215950 कि.ग्रा. असंसाधित अराबिका पचमिंट कॉफी की कमी का पता चला। कॉफी की हानि अनंतिम रुप से 73.65 लाख रुपये अनुमानित की गई तथा संसाधनकर्ता को अप्रैल 1990 में तीन सप्ताह के भीतर अदायगी करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया गया था। संसाधनकर्ता का लाईसेंस मई 1990 में रद्द कर दिया गया था।

भंडार की कमी के अतिरिक्त, फर्म द्वारा दिसम्बर 1988 में, उत्पादकों को अदायगी करने के लिए बोर्ड द्वारा उसके निपटान पर रखी गई निधियों में से 10.48 लाख रुपये के दुर्विनियोग का भी पता चला था। इस राशि को वसूल किए जाने के लिए बोर्ड ने मार्च/जून 1989 में आदेश दिए गए थे, परन्तु, कोई वसूली प्रभावित नहीं की गई थी (सितम्बर 1991)। बोर्ड ने मार्च 1991 में बताया कि संसाधनकर्ता सरकारी परिसमापन के अंतर्गत है तथा वास्तविक मात्रा और कमियों का मूल्य तथा वसूली योग्य राशियों को अभी अंतिम रुप दिया जाना था (सितम्बर 1991)।

7.9 संसाधनकर्ता "ख" 1974 से बोर्ड की ओर से काफी के संग्रहण, प्राप्ति, संसाधन तथा भंडारण रखने के लिए पूल एजेंट तथा संग्रहण एजेंट के रूप में लाइसेंस शुदा है। पूल एजेंट को, उत्पादकों को अदायगी करने के लिए समर्थ करने हेतु बोर्ड संसाधनकर्ता के पक्ष में साख पत्र खोलता रहा है। संग्रहण एजेंटों के साथ किए गए करार के अनुसार, एजेंट साख पत्र के प्रति केवल वास्तविक

आवश्यकताओं की मात्रा तक धन निकालेगा तथा इस प्रकार निकाली गई राशियां उसके द्वारा 10 दिनों से अधिक के लिए नहीं रखी जायेगी और उसके द्वारा रखी गई फालतू राशि पर बैंक दर पर ब्याज अदा करने के लिए वह उत्तरदायी होगा। वह दण्डनीय कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होगा।

अगस्त 1988 में यह भी पता चला था कि संसाधनकर्ता ने 1985-86 के दौरान साख्यपत्रों में से निकाली गई एक बड़ी राशि रखी ली थी जो कि वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक थी। बोर्ड के आंतरिक लेखापरीक्षा दल ने जून 1989 में यह भी बताया था कि संसाधनकर्ता 1985-86 से प्रत्येक वर्ष साख पत्र की पूरी राशि निकाल रहा था यद्यपि ये उत्पादकों को शीघ्र बांटने के लिए उपयोग नहीं की गई थी। अवितरित राशियां बोर्ड को कभी भी वापस (छोटी राशियों को छोडकर) नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त् जब संसाधनकर्ता ने बोर्ड को सामयिक लेखे भेजते समय बैंकों में भरी शेष दर्शाया जबकि बैंक विवरण के अनुसार बकाया कहीं कम था। धोखाधड़ी को यद्यपि बोर्ड के क्षेत्र अधिकारियों तथा लेखा विभाग द्वारा प्रत्येक साख पत्र के प्रति संसाधन कार्यशालाओं द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के विवरणों की जांच करने में विफलता तथा बिना उपयुक्त सत्यापन के साख पत्र की स्थापना के कारण संभव हुई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा खंड ने जनवरी 1981 से जून 1989 तक की अवधि को आवृत करते हुए सितम्बर 1989 के दौरान विस्तृत सत्यापन किया तथा पाया कि संसाधनकर्ता द्वारा कुल 83 लाख रुपये की राशियों के दुर्विनियोग किए थे। यद्यपि बोर्ड को भारी राशियों के दुर्विनियोग के तथ्यों की जानकारी थी तथापि, उसने उत्पादकों को वितरण करने के लिए साख पत्रों को स्थापित (दिसम्बर 1989 में 50 लाख रुपये, जनवरी 1990 में 60 लाख रुपये तथा फरवरी 1990 में 50 लाख रुपये) करना जारी रखा। संसाधनकर्ता ने 2.68 लाख रुपये के लेखे भेजे तथा जनवरी 1990 में 40 लाख रुपये वापस कर दिए। बकाया 117.32 लाख रुपये राशि के लेखे संसाधनकर्ता द्वारा भेजे जाने बाकी हैं (सितम्बर 1991)। इस प्रकार से एजेंटों ने अनाधिकृत रुप से भारी धन रखे रहा तथा अनाधिकृत लाभ उठाया।

मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांचाधीन सूचित था (जुलाई 1990) तथा बोर्ड राशियों की वसूली करने हेतु दीवानी मुकद्दमा दायर करने पर विचार कर रहा था (सितम्बर 1991)। संसाधन कार्यशाला का लाईसेंस अगस्त 1990 में निरस्त कर दिया था।/

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि वे पैरा 7.7, 7.8 तथा 7.9 में इंगित की गई कमियों का अध्ययन करने तथा प्रणाली तीव्र करने के लिए समुचित उपाय सुझाने के लिए मुख्य नियंत्रक, लेखा को अनुदेश दे रहे थे।

8. उत्पादकों को अदायगियां

8.1 बोर्ड को सुपुर्द की गई कॉफी की गुणवत्ता का निर्धारण करना, बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों मे से एक है। उत्पादकों को अदायगियां, प्राप्त की गई कॉफी की किस्म तथा गुणवत्ता के संदर्भ में नियत की जाती है। कॉफी की गुणवत्ता का निर्धारण, दृष्टिगत निरीक्षण (आकार, बनावट, रंग, खराबियां) स्वाद परीक्षण (सुगंध, शक्ति, अम्लता, इत्यादि के लिए) तथा आद्रता की मात्रा, के संदर्भ में नियत किया जाता है। बोर्ड मौसम के शुरु में प्रत्येक कॉफी मौसम के लिए द्योतक नमूनों के आधार पर उचित औसत गुणवत्ता (उ औ गु) निर्धारित करता है। मानक संदर्भ श्रेणी के रुप में कॉफी उ औ गु बागान श्रेणी "क" को लेते हुए एक मूल्य अंतर मापदंड मू अ मा तैयार किया जाता है तथा प्रति 50 कि. ग्रा., 100 अंक प्रदान किए जाते हैं। अन्य श्रेणियों को अंक उ औ गु, मानक के संदर्भ में निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार कॉफी की प्रत्येक श्रेणी का प्रासंगिक निष्पादन, उस श्रेणी के लिए निश्चित अंकों की संख्या नियत करने में निर्णायक भूमिका अदा करता है। निम्न तालिका 1984-85 से उ औ गु मानक कॉफी की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित किए गए (50 ग्राम) अंकों के विवरण दर्शाती है:-

वर्ष	पौधरोपण					अराबिका					रोबस्ता				
	ए	पी बी	बी सी	ढ़ेर		पी बी	ए बी	सी	ढ़ेर		पी बी	ए बी	सी	ढ़ेर	
1984-85	100	103	95	90	88	93	92	84	85		91	90	85	88	
1985-86	100	103	95	92	87	89	88	83	81		86	86	81	83	
1986-87	100	104	95	92	84	90	90	84	80		82	83	79	81	
1987-88	100	105	95	92	84	90	90	84	80		82	83	79	81	
1988-89	100	105	95	92	84	90	90	84	80		82	83	79	81	
1989-90	100	101	93	85	80	81	84	73	79		72	74	63	69	
पांच वर्षों के दौरान कमी की प्रतिशतता	-	2	2	6	9	13	9	13	7		21	18	26	22	

8.2 मू.अ.मा. पिछले वर्षों में "बाजार निष्पादनों" के रुप में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों द्वारा

प्राप्त हुए बाजार मूल्यों में अंतर को दर्शाने हेतु प्रतिवर्ष, अद्यतन किया जाना अपेक्षित है। मू अ मा, विपणन समिति की उप-समिति द्वारा निश्चित किया जाता है। लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया था कि बाजार निष्पादन की संगणना करते समय, कोई समरूप मानक नहीं अपनाया गया था। एक समय निष्पादन केवल पिछले मौसम के संदर्भ में लिया गया था, जबकि 1987-88 के लिए मू अ मा हेतु दो पूर्ववर्ती वर्षों के बाजार निष्पादनों को ध्यान में रखा गया था। 1989-90 के मू अ मा के लिए पिछले दो वर्षों के बाजार निष्पादन को ध्यान में रखा गया था। 1987-88 के लिए निश्चित मू अ मा को भी 1988-89 के लिए भी जारी रखने का निर्णय किया। इस प्रकार से, मू अ मा को तदर्थ आधार पर पूरा किया जा रहा था तथा बोर्ड ने मू अ मा तैयार करने के लिए कोई स्थायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थी (सितम्बर 1991)। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय होगा कि ए.एफ.एफ. ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया था कि एफ.ए.क्यू. वर्ष की समस्त फसल का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं करती थी तथा एफ.ए.क्यू का सुनिश्चय सशक्त जांच प्रणालियों के साथ अधिक वैज्ञानिक ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि मू अ मा कॉफी श्रेणीकरण के लिए आदर्शी पहुंच का प्रतिनिधित्व करती है, यह आवश्यक होगा कि समुचित प्रक्रियाओं, सिद्धांतों तथा प्राचलों को निर्धारित किया जाये ताकि मू अ मा तैयार करने में वर्षानुवर्ष एकरूप तथा सुसंगत पद्धतियों की अनुपालना की जाये।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि मू.अ.मा. उप समिति ने असामान्य बाजार उतार चढ़ाव, मौसम के दौरान कॉफी का उत्पादन, उत्पादकों, विशेषकर छोटे उत्पादकों की समस्याओं की कठिनाइयों, इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों की ध्यानपूर्वक जांच के बाद यह निर्णय करती है कि मू.अ.मा. चार वर्षों के बाजार निष्पादन पर अथवा पिछले दो वर्षों की औसत पर आधारित होने चाहिएं। यह भी बताया गया था कि उप समिति उत्पादकों के हित में मू.अ.मा. निश्चित करने से संबंधित सभी कारकों की विस्तृत जांच करती है। तथापि, तथ्य यह रहता है कि मू.अ.मा. तय करने में वर्षानुवर्ष सतत् पद्धतियों को नहीं अपनाया गया है, न ही बोर्ड ने सतत् ढंग से एफ ए क्यू के सुनिश्चय हेतु कोई प्रणाली निर्धारित की थी अथवा मापदंड निर्धारित किया था।

8.3 उत्पादकों को अंकों पर आधारित भुगतान, कॉफी की प्राप्ति के समय से आरंभिक भुगतान के साथ प्रारंभ करते हुए तथा 6 किश्तों (1988-89 के मौसम) से 12(1985-86 के मौसम) तक बढ़ाते हुए आवधिक रुप से घोषित किए जाते हैं। बड़े उत्पादकों के लिए भुगतान सुपुर्द की गई कॉफी की गुणवत्ता तथा किस्म पर निर्भर होते हुए, अंकों के आधार पर किए जाते है। 1987-88 के मौसम तक, छोटे उत्पादकों की इसी प्रकार के निर्धारण पर अथवा सुस्पष्ट बिक्री आधार पर भुगतान प्राप्त करने का विकल्प था। तथापि, 1988-89 के बाद से पूराने ट्रावनकोर क्षेत्र के उत्पादकों को छोड़ कर

पैरा 9.1 1985-86 से 1988-89 के दौरान आन्तरिक तथा निर्यात बाजार में काफी का कुल निर्गम

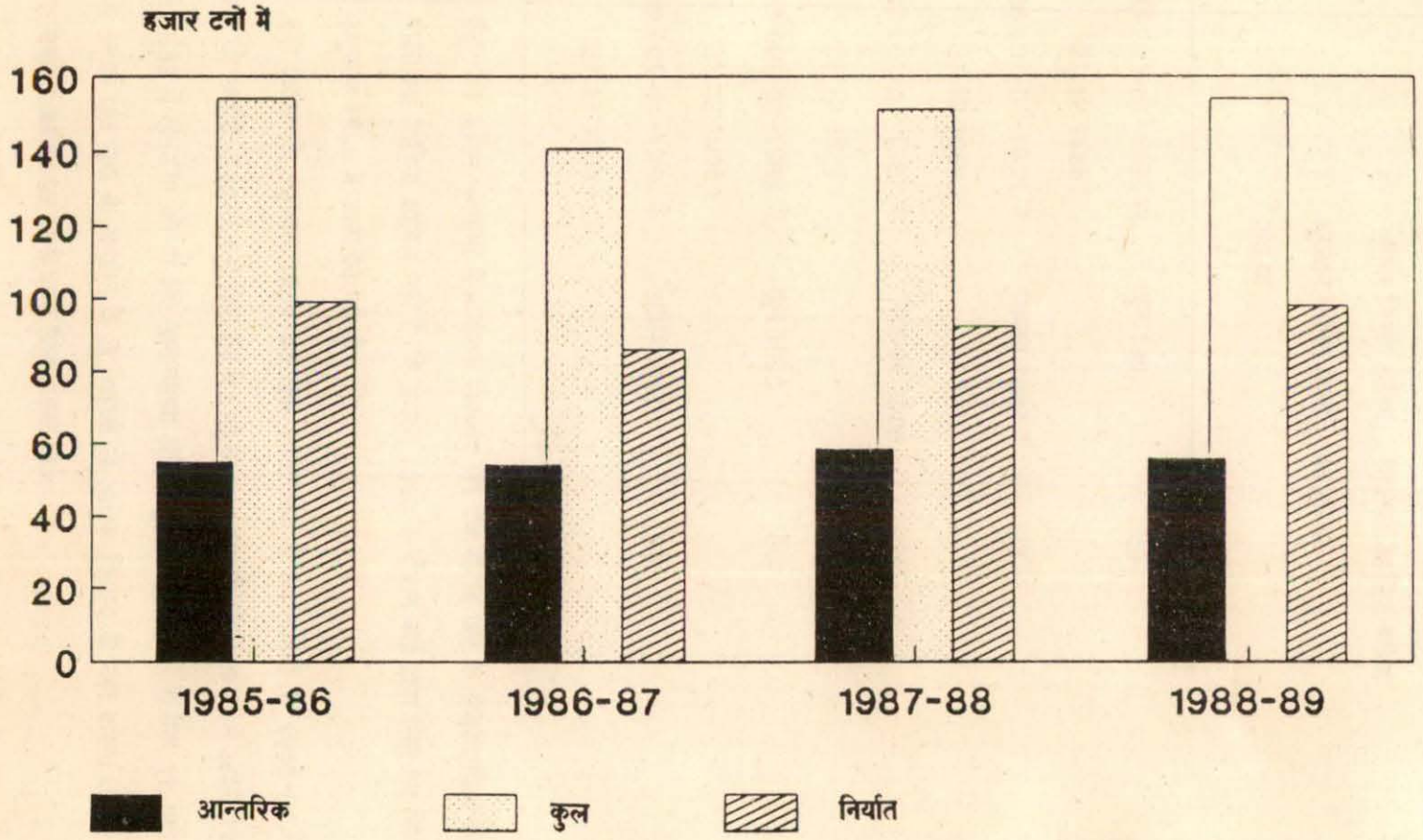

की समाप्ति के बाद, छोटे उत्पादको को किसी अनावश्यक वित्तीय कठिनाई से बचाने के लिए भुगतानों को तेज करना और अधिक आवश्यक होगा।

9. विपणन

बोर्ड, बाजार में कॉफी, मांग के इसके अपने प्रक्षेपणों के आधार पर चरणबद्ध ढंग से जारी करता है। कॉफी का ढ़ेर निर्यात बाजार को निर्यात नीलामी के माध्यम से तथा आंतरिक बाजार को नीलामियों के माध्यम से जारी किया जाता है।

9.1 निम्नलिखित तालिका प्रत्येक मौसम की फसल के संबंध में पूल को सुपुर्द की गई कुल अधिक कॉफी, आंतरिक तथा निर्यात बाजारों के लिए 1988-89 को समाप्त हुए पांच मौसमों के लिए जारी की गई कुल मात्रा के विवरण दर्शाती है:

(टनों में)

मौसम	पूल को कुल सुपुर्दगियां	मार्च 1990 तक जारी		
		आंतरिक बाजार को	निर्यात को	जोड़*
1985-86	121916	49777	72136	121913
1986-87	191647	84845	105807	190652
1987-88	122275	35878	84361	120239
1988-89	214057	63996	133435	197431

1986-87 के मौसम की फसल से संबंधित वर्तमान भंडार का मार्च 1990 के अंत में अभी भी निपटान किया जाना था। ऐसी ही स्थिति अनुवर्ती वर्षो के उत्पादनों के संबंध में प्रचलित थी।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया था कि पूर्व कॉफी मौसमों से संबंधित कॉफी के भंडार, नीलामी के लिए प्रस्तावित किए गए थे परन्तु उठाये नहीं गये थे। बाद में इनका दर्जा घटा दिया गया था तथा नीली सूची के रूप में (अवस्तरीय कॉफी) श्रेणी बद्ध किया गया तथा न्यूनतर मूल्यों पर निपटान किया गया। 1986-87 से 1989-90 के दौरान बेची गई ऐसी निम्नस्तरीय कॉफी की मात्रा क्रमशः 1577,3790, 3357 तथा 1785 टन थी। इस कारण से हानि का लेखापरीक्षा में सुनिश्चय नहीं किया जा सका। क्योंकि बोर्ड इसके लिए पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं कर रहा था।

9.2 कॉफी की फसल की उपज द्विवार्षिक होने के कारण, विपणन के लिए कॉफी की उपलब्धता प्रति वर्ष कॉफी के के उत्पादन में विभिन्नता द्वारा प्रभावित होती है। तिस पर भी, ऊपर की तालिका से यह देखा जायेगा कि आंतरिक तथा बाह्य बाजारों में वास्तविक कुल बिक्री सम्बद्ध वर्षों के लिए पूल को सुपुर्द की गई कुल कॉफी की तुलना में, कम थी, परिणामस्वरूप, अगले मौसम को भंडारों का अग्रेषण हुआ। प्रत्येक वर्ष की कॉफी के निपटान में आमतौर से 2 से 3 वर्ष लगते है जिसके परिणामस्वरुप प्रत्येक वर्ष के अंत में भंडारों का अग्रेषण हुआ, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(टनों में)

31 दिसम्बर को	पौधरोपण	अराबिका	रोबस्ता	जोड़
1983	9770	3490	9122	22382
1984	20158	4912	5027	30097
1985	6599	8949	42609	58157
1986	8512	11319	14860	34691
1987	10146	16149	36228	62523
1988(अ)	8269	12116	15567	35952
1989(अ)	9825	20051	50309	80185

टिप्पणी: (अ) : अनंतिम

बोर्ड द्वारा ऐसे भारी भंडारों को रखे जाने में बड़ी संरक्षण लागत अंतर्गस्त होती है, जो कि व्यापार से नहीं वसूली जाती है, अपितु अंततः पूल निधि को प्रभारित की जाती है, जिसका प्रभाव उत्पादकों को निवल वापसियों में कमी में होता है।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि प्रत्येक कलैंडर माह के अंत में बोर्ड के लिए आगामी वर्षों के जनवरी से मार्च माह में विक्री के लिए अपेक्षित भंडार की मात्रा रखना आवश्यक है। आगे, बकाया निर्यात योग्य फसल गैर सदस्य देशों को, विशेषकर यू एस एस आर को बेचे जाने थे, जब अ का सं के अंतर्गत निर्यात कोटा लागू था।

तथापि, मंत्रालए ने अ का सं के समाप्त हो जाने के बाद, एक तर्कसंगत समयावधि के भीतर

निर्यात योग्य अतिरिक्त फालतू भंडार के परिसमापन के लिए प्रयत्नों को इंगित नहीं किया था।

9.3 सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान घरेलू मांग, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक लक्षित आबंटन तथा पूल बिक्री के लिए वास्तव में जारी हुओं के प्रक्षेपण, नीचे दिए गए हैं:

(टनों में)

वर्ष	सातवीं योजना में प्रक्षेपित घरेलू मांग	वार्षिक लक्षित आबंटन	वास्तविक जारी हुए *
1985-86	58,600	60,000	54,874
1986-87	60,000	60,000	54,421
1987-88	62,000	60,000	58,636
1988-89	63,500	60,000	55,926
1989-90	64,500	60,000	63,328

* इनमें घरेलू नीलामियों के माध्यम से जारी किए गयों के अंतिरिक्त स्थानीय व्यापारियों, सहकारी समितियों तथा प्रचार विभाग के माध्यम से जारी किए गए भी शामिल हैं।

उक्त से यह सिद्ध होगा कि हस्तगत भंडारों, बाजार मांग तथा जनसंख्या में वृद्धि, उपभोक्ता आदत तथा क्रय शक्ति इत्यादि के कारण मांग में सामान्य वृद्धि का प्रबंध जुटाये जाने की आवश्यकता की गणना किए बिना ही प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य आबंटन निश्चित कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, वास्तविक जारी किए गए भंडार भी लगभग स्थिर थे तथा आंतरिक बिक्री को बढ़ावा देने के किन्हीं प्रयत्नों को नहीं दशति थे।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि घरेलू आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करना बोर्ड की नीति रही है। परन्तु तथ्य यह रहता था कि स्थानीय विक्रेताओं, सहकारी समितियों तथा प्रचार विभाग को घरेलू नीलामियों तथा घरेलू नीमामियों को बिक्री के माध्यम से वास्तविक निर्गम, 1989-90 के दौरान सातवीं पंचवर्षीय योजना की समस्त अवधि के लिए लक्षित 60,000 टन से कम था।

9.4 भारत अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन (अ का सं) का सदस्य है, जो कॉफी मे व्यापार के प्रबोंधन के लिए कॉफी निर्यातक तथा आयातक देशों द्वारा स्थापित किया गया था। आपूर्ति तथा मांग

पर तर्कसंगत नियंत्रण तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर कॉफी की आपूर्ति करने और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने तथा कॉफी की विश्वव्यापी आपूर्तियों तथा इसके मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने की व्यवस्था करने के लिए, 1983 में सभी सदस्यों द्वारा एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अनुबंध के अंतर्गत, सदस्य देशों को कॉफी का निर्यात, प्रत्येक निर्यातक देश के लिए वार्षिक कोटा निश्चित करके विनयमित किया जाता था। अनुबंध सितम्बर 1990 को समाप्त होना था। एक नये अनुबंध पर समझौता करने के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं हुए तथा इसके परिणामस्वरुप जुलाई 1989 से कोटा निलम्बित हो गया।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, अ.कॉ सं के सदस्यों के अलावा अन्य देशों के कॉफी निर्यात प्रतियोगिता में अ.कॉ.सं. मूल्यों से न्यूनतर दरों पर बनाये जा रहे थे। मूल्यों में भारी कमी तथा अस्थिर बाजार के कारण अ.कॉ.सं. मूल्य सूचकांक के अनुसार प्रचलित दरों की तुलना में न्यूनतर दरों पर ऐसी बिक्री को रोकने के लिए 1986 में लगाई गई पाबंदी भी टूट गई थी। परिणामत:, कोटों के समाप्त होने के साथ ही निर्यातक देश अ.कॉ.सं. की पाबंदियों के बिना विश्व बाजार में व्यापार करने के लिए मुक्त थे।

भारत में कॉफी का निर्यात केवल बोर्ड द्वारा अथवा इसके प्राधिकरण के अंतर्गत किया जा सकता था, जैसा कि अधिनियम की धारा 20 में निर्धारित है। निर्यात योग्य कॉफी का एक बड़ा भाग बोर्ड द्वारा यू एस एस आर को सीधे बेचा जाता है। वास्तव में निर्यात की गई मात्रा, इसका मूल्य इत्यादि को दशति हुए विवरण नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	सदस्य देश	गैर सदस्य देश		सकल जोड़
		अन्य	यू एस एस आर	जोड़
(1)	मात्रा (टन)			
1986-87	43878	5938	36850	42788	86666
1987-88	50512	9199	32750	41949	92461
1988-89	44862	5029	48356	53385	98247
1989-90	47924	22839	62598	85437	133361

(ii) मूल्य

(करोड़ रुपयों में)

1986-87	170.60	27.29	164.94	192.23	362.83
1987-88	135.16	28.63	95.86	124.49	259.65
1988-89	152.12	17.07	168.43	185.50	337.62
1989-90	118.76	55.00	184.10	239.10	357.86

(iii) इकाई मूल्य (औसत इकाई मूल्य)

(प्रति टन रुपये)

1986-87	38880	45951	44748	44926	41865
1987-88	26770	31126	29269	29677	28108
1988-89	33908	33945	34832	34748	34365
1989-90	23902	24081	29411	27986	26834

(i) अ.कॉ.सं. के सदस्य देशों को निर्यात की चार मात्रा चार वर्षों में 0.44 से 0.48 लाख टन तक बढ़ गई है, तथापि, संबंधित मूल्य 1989-90 में वार्षिक रूप में अत्यधिक नीचे आ गये थे। अ.का.स. के संयुक्त सूचक मूल्य अराबिका तथा रोबस्टा के लिए 1987 में क्रमशः 123 तथा 107 के अमरीकी सैंट से घटकर 1989 में 107 तथा 92 अमरीकी सैंट हो गया था। अ.कॉ.सं. की कोटा प्रणाली जुलाई 1989 में समाप्त कर दी गई थी।

(ii) बोर्ड ने यू एस एस आर से सीधा व्यापार किया तथा 1987-88 में 32750 टन तक बेचने से 1989-90 में 62,598 टन तक बेचने में समर्थ हो सका। इस प्रकार लगभग आधे निर्यात योग्य आधिक्य को यू एस एस आर को विपणन करने के लिए बोर्ड की भारी निर्भरता परिलक्षित हुई।

(iii) 1986-90 के दौरान वार्षिक निर्यात मूल्य 260 करोड़ रु. से 363 करोड़ रु. तक था, मूल्य में भिन्नता मात्रा तथा प्राप्त औसत मूल्य से प्रभावित हुई। 1985-89 के कैलेन्डर वर्षों के दौरान विश्वनिर्यात को भारतीय काफी निर्यात की प्रतिशतता 2.2 से 2.7 प्रतिशत तक बढ़ी। कॉफी के लिए विश्व बाजार वाष्पशील होने के कारण, मुख्यतः कॉफी के विश्व दामों की निरन्तर कमी के संदर्भ में बाजार के वर्तमान शेयर को बनाए रखने के लिये भी दीर्घकालिक प्रयास आवश्यक थे।

इस संदर्भ में यह बता देना उचित होगा कि विदेशों में भारतीय कॉफी के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड द्वारा की गई पहल अल्पतम है जो कि भारत से बाहर प्रचार पर अपर्याप्त आबंटन द्वारा वहन की जायेगी। 1985-90 के दौरान, व्यय, 1988-89 के दौरान 15.03

लाख रुपये के सिवाए केवल 4.10 लाख रुपये से 7.00 लाख रुपये के बीच थार, जोकि मुख्यतः कुछ पत्रिकाओं में विज्ञापनों तथा विदेशी मेलों में हिस्सा लेने पर वहन किया गया था।

9.4.1 विदेश में भारतीय कॉफी को बढ़ावा देने में बोर्ड के आवेष्टन में अ कॉ स में भारतीय हित का प्रतिनिधित्व करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेता रहा है। विश्व बाजार में वास्तविक व्यापार निजी निर्यात गृहों द्वारा किया गया। खरीदारों का पता लगाने की पहल विशेष् रुप से अ का सं सदस्य देशों के बीच, लगातार निजी निर्यातकों द्वारा की जाती रही है। बोर्ड कॉफी के निर्यात हेतु पाक्षिक नीलामी करता है जिसमें पंजीकृत निर्यातकर्ता भाग लेते हैं। 50 पंजीकृत निर्यातकों में से केवल लगभग 25 निर्यात नीलामी में भाग ले रहे हैं। लेखा परीक्षा में यह अवलोकित किया गया था कि बोर्ड द्वारा नीलामी हेतु रखे गये ढेर का 70 प्रतिशत के लगभग चार निर्यात फर्में उठा रही थीं। 1988 के दौरान ये चार निर्यातक फर्में बेचे गये 48,083 टनों में से 36349 टन उठा चुकी थीं। इसी प्रकार 1990 के दौरान उन्होंने नीलामी में बिक्री किए गए 43,018 टनों में से 28,693 टन उठाये। निर्यात नीलामियों में प्रस्तुत की जाने वाली हरी कॉफी के चयन मं कॉफी बोर्ड द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया, संसाधन कार्यों में जांच पैनल द्वारा की जाती है। पैनल निर्यात हेतु अलग किए गए ढेर पर निशान लगाता है तथा इस प्रकार के ढेर से नमूने लेता है जो क्षेत्रीय जांच समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। उसी श्रेणी में कॉफी की अच्छी किस्म के बीच कोई प्रथक्करण नहीं किया जाता। विशेष कॉफी के सभी ढेरों को मिला लिया जाता है एक ही बा ला दर निश्चित की जाती है। लेखापरीक्षा में यह भी अवलोकित किया गया था कि उसी श्रेणी में अच्छी किस्म की कॉफी ने ऊंची कीमत प्राप्त की तथापि, बोर्ड ने स्वयं गुणवत्ता विभेदक किस्म जो अधिक मूल्य को उचित ठहराये का संकेत नहीं दिया। इस प्रकार यह सुस्पष्ट होगा कि कॉफी की प्रीमियम किस्म को बेचने हेतु बोर्ड ने कोई योजना निर्धारित नहीं की है।

1988 में बोर्ड द्वारा सूत्रबद्ध कॉफी के लिए दीर्घावधि तथा विपणन योजना में विचारा गया था कि यह सर्वोपरि महत्व का था कि अराबिका कॉफी का निर्यात राबुस्टा कॉफी की तुलना में बढ़ाया जाना चाहिए तथा उच्च मूल्य बाजार में कॉफी के प्रोत्साहन के लिए यह आवश्यक था ताकि निर्यात हेतु उच्चतर इकाई मूल्य प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त, मानसून कॉफी जैसी विशिष्टिकृत कॉफी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयत्न किए जायें तथा उत्पादकों को अधिक लाभ देने के लिए विदेशी विनिमय उपार्जन बढ़ाने हेतु उचित मूल्य वाली कॉफी के निर्यात के लिए कार्यवाही की जाये। बोर्ड द्वारा अभी तक (सितम्बर 1991) उक्त उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजना व्यक्त नहीं की गयी है।

9.5 बोर्ड, यू एस एस आर के साथ सीधी बातचीत द्वारा तथा हरी काफी को इन्स्टेंट कॉफी में परिवर्तित करने के कार्य को भारतीय निर्माता फर्मों को सौंपते हुये 1976 से यू.एस.एस.आर. को इन्टेन्ट कॉफी का निर्यात कर रहा था । निर्यात की गई इन्स्टेंट कॉफी की मात्रा 1985 में 1015 टन, 1986 में 600 टन, 1988 में 2200टन, 1989 में 5604 टन तथा 1990 में 5,000टन थी (1987 में कोई निर्यात नहीं हुआ)। 1986 तक बोर्ड द्वारा उद्धृत पो.प.नि. कीमतें प्रत्येक वर्ष के निर्यात नीलामी से प्राप्त की दरों पर आधारित थीं तथा बातचीत के दौरान छूट की उस राशि तक कम की गई थीं जहाँ तक आदेश को हस्तगत करने के लिए आवश्यक था। वस्तुतः बोर्ड, परिवर्तन, पैकिंग तथा निकासी एवं प्रेषण (नि एवं प्रे) प्रभारों जिनमें हरी कॉफी, नकद प्रतिपूरक सहायता तथा शुल्क वापसी आदि शामिल थे की लागत को वहन करने के पश्चात निविदित निर्यात दरों के शेष को रोके रख रहा था। क्योंकि कीमतों के बारे में यू.एस.एस.आर. के साथ कोई समझौता नहीं हो सका, 1987 के दौरान यू.एस.एस.आर. को कोई निर्यात नहीं हुआ। 1988 के दौरान यू.एस.एस.आर. को निर्यात के संबंध में मंत्रालय ने अक्तूबर 1987 में सुझाव दिया कि दरों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये निर्यात न किये जाने योग्य गुणवत्ता की हरी कॉफी घरेलू नीलामी मूल्यों पर आबंटित की जाये ताकि यू.एस.एस.आर. में विलयशील काफी बाजार का प्रमुख अंश प्राप्त हो सके। बोड द्वारा दिसम्बर 1987 में 240 रुपए प्रति कार्टन की दर (प्रत्येक100 ग्राम के 24 टिन) को उद्धत करने से पहले ही, उपर्युक्त आधारों पर सितम्बर 1987 में भारत में इन्सटैंट काफी को तैयार करने वालों में से एक फर्म "क" ने सीधे ही यू.एस.एस.आर. से समझौता कर लिया तथा जनवरी 1988 में उन्हें 191 रुपए प्रति कार्टन के हिसाब से इन्स्टेंट काफी बेचने की पेशकश की तथा जनवरी 1988 में बा.ला.दर के ऊपर एक प्रतिशत पर ग्रीन बीन की आपूर्ति के अनुरोध के साथ बोर्ड से सम्पर्क किया। तथापि,बोर्ड ने सीधे बातचीत करने का निर्णय लिया, परन्तु अच्छी कीमत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण, 191 रुपए प्रति कार्टन की कीमत पर सहमत हो गया तथा इंस्टेंट कॉफी को हरी कॉफी में परिवर्तन करने तथा हरी कॉफी की लागत के प्रति 2.4 कि ग्रा निवल के 105 रुपये प्रति कार्टन प्रतिधारण करने के पश्चात प्रतिकार्टन 71 रुपये पर पैकिंग करने हेतु मार्च 1988 में फर्म "क" तथा "ख" से समझौता किया (बोर्ड ने 15 रुपये प्रति कार्टन पर इस्टेंट कॉफी की निकासी तथा प्रेषण हेतु नि.तथा प्रे एजेंटों के साथ अलग से अनुबंध किया)। 1989-90 के दौरान इंस्टैंट कॉफी के निर्यात हेतु फर्म "क", "ख" तथा "ग" के साथ इसी प्रकार के करार किए गए थे।

इन्स्टैंट कॉफी के निर्माण के लिए फर्म "क" तथा फर्म "ख" के समझौता करने से पहले, बोर्ड ने जनवरी 1988 तथा दिसम्बर 1988 में इन्स्टैंट कॉफी के निर्माताओं से हरी कॉफी को इंस्टेंट

कॉफी में परिवर्तन करने तथा पैकिंग प्रभारों की पेशकश प्राप्त की थी। परन्तु इन पेशकशों पर विचार नहीं किया गया था जिनके कारण नहीं बताये गये थे। इसके बजाए हरी कॉफी की कीमत तथा निर्यात कीमत में अंतर को निर्माताओं को नि तथा प्रे प्रभारों, जो कि नि तथा प्रे एजेंटों को अलग से अदा किए गए थे को छोड़कर अनुमत किया गया था। बोर्ड द्वारा बनाये रखे गये निर्यात मूल्य, हरी कॉफी की लागत तथा 1988] 1989 तथा 1990 के ठेकों के संबंध में निर्माताओं/ एजेंटों को अनुमत परिवर्तन/पैकिंग /प्रे नि प्रभार नीचे दी गई तालिका में इंगित किए गए हैं:-

	1988	1989	1990
		(रुपये प्रति कार्टन)	
यू एस एस आर के साथ सहमत			
कीमत	191	178	196
हरी कॉफी की लागत	105	72	94
परिवर्तन प्रभार, पैकिंग			
लागत इत्यादि	71	91	84
भा तथा प्रे. प्रभार	15	15	18

यहां यह कहना उचित होगा कि जबकि 1988 आयात हेतु आपूरित हरी कॉफी के लिए मूल्य बा ला दर जमा पांच प्रतिशत थी, 1989 तथा 1990 के ठेकों हेतु हरी कॉफी की आपूर्ति हेतु दर बा ला दर की तुलना में काफी कम थी।

इस आधार पर कि निर्माताओं द्वारा वहन की गई लागते परिवर्तन लागतों को पर्याप्त रुप से पूरा नहीं कर पायेगी, मार्च 1988 में बोर्ड शुल्क वापसी पर निर्यात प्रोत्साहनों तथा नकद प्रतिपूर्ति सहायता को निर्माता फर्मों को देने पर सहमत हो गया। इस पर सहमत होने से पूर्व, बोर्ड ने निर्माताओं को होने वाले वास्तविक लाभों की मात्रा की गणना नहीं की। परिणामस्वरुप 1988-90 के दौरान बोर्ड ने इन्स्टैंट कॉफी के निर्माण पर 12.10 करोड़ रुपए की हानि उठाई जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

वर्ष	कार्टनों में निर्यात की गई मात्रा	प्रस्तावों के अधार परिवर्तन तथा पैकिंग प्रभार	भुगतान योग्य समझौते के आधार पर परिवर्तन एवं पैकिंग प्रभार	प्र न स तथा अनुमत शुल्क वापसी	वास्तव में भुगतान की गई राशि (4)-(5)	आधिक्य (6)-(3)	कुल राशि (लाख रु में
1	2	3	4	5	6	7	8
			(रुपये प्रति कार्टन)				
1988	920326	86.24	71	34.95	105.95	19.71	181.40
1989	2337501	99.77	91	33.00	124.00	24.23	566.38
1990	2083335	100.28*	84	38.45	122.45	22.17	461.88
					जोड़		1209.66

टिप्पणी *चूंकि 1990 के ठेके हेतु निविदाएं प्राप्त नहीं की गई थीं, यह 1989 हेतु निविदाओं के अनुसार परिवर्तित प्रभारों तथा वास्तविक पैकिंग प्रभारों पर आधारित है।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि "इंस्टैंट कॉफी के निर्माताओं का, एकमुश्त सौदे के माध्यम से यू एस एस आर को इंस्टैंट कॉफी के वास्तविक निर्यात होने के नाते, बोर्ड ने निर्णय किया कि न प्र स तथा शुल्क वापसी के लाभ उन्हें प्रोद्भुत होने चाहिए। सारी संविदा इंस्टैंट कॉफी एक एकमुश्त सौदा था। निर्मातों को प्रोद्भूत न प्र स तथा शुल्क वापसी के लाभ के बिना निर्यात सौदा साकार नहीं हुआ होता। इस प्रकार न प्र स तथा शुल्क वापसियों की मात्रा जोकि निर्मातों को प्रोद्भूत थीं बोर्ड को हानि के रुप में नहीं मानी जा सकती है"। निम्नलिखित के मध्यनजर मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

(i) इंस्टैंट कॉफी निर्माताओं के प्रारंभिक प्रस्तावों में इस संबंध में कोई संकेत नहीं था कि निर्यात प्रोत्साहन न प्र स तथा शुल्क वापसियां उन्हें हस्तांतरित हो जाएगी।

(ii) बोर्ड ने इंस्टैंट कॉफी निर्माताओं को उनके उद्धृत प्रस्तावों की तुलना में निर्यात प्रोत्साहन हस्तांतरित करने की वित्तीय उलझने परिकलित नहीं की थी। इस के परिणामस्वरूप 1988 में 86.24 रुपये की उद्धृत दर के प्रति, प्रति कार्टन 105.95 रुपये, 1989 में 99.77 रुपये के प्रति 124 रुपये तथा 1990 में 100.28 रु. के प्रति 122.45 रुपये का भुगतान हुआ।

9.6 1989 के दौरान फर्म "क" को 3,110 टन इन्स्टैंट कॉफी के निष्कर्षण का कार्य सौंपा गया था। समझौते के अनुसार फर्म ने अच्छे निष्कर्षण करने के प्रयासों से तथा इस हालत में हरी कॉफी की बचत के रूप में लाभ को बोर्ड को देने के रुप में 1:2.5 के निष्कर्षण (अर्थात 1 किलो इन्स्टैंट कॉफी तैयार करने के लिए 2.5 कि ग्रा हरी कॉफी की आवश्यकता होगी) की गारंटी दी। परिवर्तन के दौरान फर्म ने 7,775 टन हरी कॉफी की वास्तविक मांग में से 588 टन की बचत की तथा अच्छे निष्कर्षण दरों के लिए 32 लाख रुपए की राशि की अनुग्रह राशि का दावा किया। विपणन समिति ने प्रस्ताव से सहमत हो गई (अगस्त 1990) तथा भुगतान दिसम्बर 1990 में किया गया। भुगतान अनियमित तथा अतिरिक्त संविदागत था क्योंकि संविदानुसार फर्म निष्कर्षण के बिना किसी दावे तथा अतिरिक्त पारिश्रमिक के सुधारने के लिए बाध्य था।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में भुगतान को इस आधार पर न्यांसंगत बताया कि फर्म को अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी क्योंकि उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया में धारण अवधि बढ़ानी पड़ी जिसके परिणामस्वरुप उत्पादन क्षमता में हानि हुई।

तथापि यह उल्लेख किया जा सकता है कि अनुबंध के अंतर्गत निर्माता को अच्छे कर्षण देने के प्रयास करने थे तथा बोर्ड को अतिरिक्त बचतें अर्जित होंगी तथा इसको भुगतान अनसमाश्वासित था।

9.7 नीचे दी गई सारणी 1984 (कलैंडर वर्ष) से बोर्ड की नीलामी बिक्री में घरेलू बिक्रियों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) तथा निर्यात बिक्रियों (शुल्क रहित) में वसूल की गई औसत कीमतें दर्शाती है:

वर्ष	पौधरोपण क		अराबिका चैर क ख		रोबस्ता	
	घरेलू	निर्यात	घरेलू	निर्यात	घरेलू	निर्यात
			(50 कि ग्रा के प्रति बोरे का मूल्य)			
1984	781.00	1357.50	741.50	1260.00	831.75	1293.00

1985	851.25	1662.50	749.50	1422.50	729.25	1303.50
1986	921.25	2325.50	773.50	2100.00	770.75	1657.50
1987	1017.75	1455.00	877.75	1193.50	875.00	1260.50
1988	1087.75	2042.00	919.75	1667.50	837.75	1537.50
1989	1239.00	1849.00	1100.00	1543.00	926.50	1289.00

उक्त तालिका से यह अवलोकित किया जायेगा कि 1984-89 के दौरान 1986 में पराकाष्ठा चोटी पर पहुंचते हुए निर्यात नीलामियों में प्राप्त हुए मूल्य वर्षानुवर्ष व्यापक रुप से अस्थिर थे। पौधारोपण तथा अराबिका के सम्बध में 1984 के मूल्यों पर 1989 में 58.6 प्रतिशत तथा 48.3 प्रतिशत तक की वृद्धि दशति हुए वर्ष प्रतिवर्ष घरेलू नीलामियों में मूल्यों में निरंतर तथा यथेष्ट वृद्धि थी। छोटे उत्पादकों द्वारा सर्वाधिक उगाई जाने वाली रोबस्ता की घरेलू बिक्री के मामले में इस प्रवृति ने कम प्रभाव डाला, जिसने केवल 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

10. अनुसंधान, विस्तार तथा विकास

10.1 बोर्ड की अनुसंधान शाखा का नेतृत्व अनुसंधान निदेशक द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (के कॉ अं सं) बलेहोनूर में हैं,कॉफी अनुसंधान उप-स्टेशन (का.अ.उ.स्टे.) चेताल्ली (कर्नाटक)में है तथा चार क्षेत्रीय स्टेशन राघवेन्द्र नगर (आन्ध्र प्रदेश),चंडीगुड़ी, (तमिलनाडू),चुन्डाले (केरल) तथा डिफु (असम) में स्थित हैं। ये आधार भूत तथा प्रायोगिक अनुसंधान और विशेषतया कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में समस्याओं को सुलझाने में संलग्न हैं। की गई बहुत सी अनुसंधान गतिविधियां निरंतर जारी रहने वाली तथा चालू परियोजनाओं/ योजनाओं की प्रकृति की हैं । 1985-90 के दौरान अनुसंधान शाखा पर व्यय नीचे दिया गया है:

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
			(लाख रुपयों में)		
व्यय:-	209.00	227.83	206.72	225.87	227.41

10.1.1 कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए परियोजना

मीली बग, ग्रीन स्कैल तथा ब्राउन बग दक्षिण भारत के लगभग सभी कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में प्रचलित गम्भीर कीट हैं, चूकि कीटनाशकों का प्रयोग महंगा है तथा पर्यावरणीय प्रदूषण की ओर

अग्रसर करेगा, अतः इन कीटों पर नियंत्रण के लिए जैविकीय तरीकों के माध्यम से अनुसंधान का लक्ष्य है । छठी योजनावधि में प्रारम्भ की गई अनुसंधान परियोजना में उस क्षेत्र में एक उपयुक्त प्राकृतिक शत्रु प्रारम्भ करने, जिसमें इन कीटों का पहले से विस्तार नहीं हुआ है तथा एक स्व-विनियमित प्रणाली स्थापित करने, जिसमें वे कीटों को नियंत्रण में रखने में सक्षम हो सकें, पर विचार किया गया था ।

1985-90 के दौरान, 10.54 लाख रु. का व्यय करके पांच लाख से अधिक परजीवी व्यापक रुप से वितरित किये गये तथा मीलीबाग बाधित भूमियों में जारी किये गये थे। किये गये कृषिभूमि मूल्यांकनों तथा सर्वेक्षणों ने प्रकट किया कि मीली बग में परजीवियों के कारण मृत्यु दर 7 से 55 प्रतिशत थी तथा यद्यपि बहुत से इन कीटों के नये प्राकृतिक शत्रु बतलाये गये थे, किसी ने प्रभावशाली नियंत्रण का प्रयास नहीं किया। अतः परियोजना जारी रखी जानी प्रस्तावित हुई थी। इस संदर्भ में, बोर्ड के अनुसंधान तथा विस्तार कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए 1984 से स्थापित मूल्यांकन समिति ने इंगित किया कि कीटों के नियंत्रण पर इन परजीवियों तथा परभक्षियों के प्रभाव के मूल्यांकन को सुसाध्य बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में परभक्षी तथा परजीवी जारी नहीं किये तथा कुछ भूमियों में परभक्षी द्वारा मीली बग के पूर्ण नियंत्रण के लिए केवल आंशिक उपलब्धि हुई थी । की गई प्रगति समिति द्वारा सन्तोष जनक नहीं पाई गई थी तथा इसने सितम्बर 1986 में पौधरोपण समुदाय द्वारा अपनाने हेतु संघटित प्रबन्धक कार्यक्रम के विकास की सिफारिश की ।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि प्रभावकारी नियंत्रण के विचार से कॉफी कीटों के प्रति एकीकृत कीट व्यवस्था अनुशंसायें पूर्वतः तैयार कर ली गई थीं। तथापि मंत्रालय ने कार्यान्वित कार्यक्रमों के विवरणों को विशेष रुप से इंगित नहीं किया।

10.1.2 उच्च सघनता कृषि प्रणाली के अन्तर्गत उनके सघन आकार का लाभ उठाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा मध्यम आकार के पौधों की कृषि पर आग्रह रहा है। के.का.अ.सं. बहुत से छोटे जीनोटाईपों की पहचान करने में सक्षम हुआ था जिनसे उत्पादकता तथा पत्ती रतुआ की प्रतिरोधशक्ति में वृद्धि होगी ।"कावेरी" (कैटीमोर)के रुप में जानी जाने वाली एक नई किस्म बोर्ड द्वारा विकसित की गई थी तथा विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में कई प्रयोगात्मक पौधारोपण मे परिणामों के अध्ययन के पश्चात 1985 में वाणिज्यिक खेती हेतु जारी की गई थी। इसके रोपण से तीन वर्ष पश्चात से पैदावार के लिए अच्छे कृषि प्रयोग के अन्तर्गत इस मूलभूत अराबिका किस्म की औसतन पैदावार 2500 कि.ग्रा. अथवा अधिक प्रति हैक्टेयर की दर से अनुमानित की गई थी । यह किस्म पत्ती रतुआ फफूंदी की साधारण जातियों की प्रतिरोधी बताई गई थी, परन्तु रुट मीलीबग तथा

व्हाइट स्टेम बोर्डर जैसे अन्य नाशी पर अति संवेदनशील पाई गई थी।

यद्यपि यह किस्म बोई जा रही है । परन्तु वास्तविक कृषि भूमि परिस्थितियों में इस किस्म की जोताई की किफायत तथा इसकी लागत सार्थकता का बोर्ड द्वारा अभी आंकलन किया जाना है । मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि औपचारिक लागत लाभ विश्लेषण के बिना भी यह आशा की जा सकती थी कि कावेरी का समग्र अर्थशास्त्र अब तक जारी अन्य चयनों से अच्छा होना चाहिए तथा औपचारिक विशलेषण जिसमें एक समयावधि पर विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों से वास्तविक उत्पादन आंकड़े अपेक्षित थे, बाद में किया जाएगा।

10.1.3 के.कॉ अ सं, बालेहोनूर तथा क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन चंडिल स्थित उतम खेती ईकाईयां मूल पौधे जिन में गुणवत्ता होती है जो उत्पादकता में सहायक होती हैं, से पौधों के बड़े स्तर के उत्पादन के माध्यम से पैदावार में स्थिरता के उद्देश्य हेतु 1986-87 के दौरान प्रारंभ की गई थीं। संवीक्षा के अधीन अवधि के दौरान यद्यपि तना, गांठ, पत्तियां, भ्रूण, परागकोश तथा भ्रूण पोष के संवर्धन का परीक्षण किया गया, परन्तु अपनाई जाने वाली तकनीक मानकीकृत नहीं की गयी थी (सितम्बर 1991)। मार्च 1990 के परियोजना पर 15.90 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि उत्तक संवर्धन तकनीक के अंतर्गत तना तथा भ्रूण संवर्धन मानकीकृत कर दिया गया था तथा पौधों की प्रथम घान ने फसल भी उत्पादित की थी। यह भी बताया गया था कि वाणिज्यिक उपयोग की सिफारिश केवल सम्पूर्ण मूल्यांकन के पश्चात ही की जा सकती थी क्योंकि कॉफी एक बारहमासी पौधा है।

10.1.4 परियोजना, के का अ सं वालेहोनूर तथा का अ उ स्टे छेताली, (क) कॉफी में टपकन सिंचाई की किफायत तथा अनुकूलनशीलता; (ख) शुष्क अवधि पर काबू पाने के लिए मात्रा का मानकीकरण तथा सिंचाई की आवृति; तथा (ग) फलने फूलने तथा सिंचाई प्रोत्साहन हेतु लघु निकासियों की स्थापना, के अध्ययन के लिए प्रारंभ की गई थी। 1986-87 से 1989-90 तक परियोजना पर 13.90 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। यद्यपि परियोजना पर विभिन्न प्रयोग किए गए थे, बागान समुदाय द्वारा अपनाने हेतु पद्धति के पर्याप्त पैकेज का विकास करने के लिए प्रयोगों के परिणामों का अभी विश्लेषण किया जाना था।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय परीक्षण कम से कम 3-5 वर्ष लेगा तथा कि परियोजना आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एक चालू परियोजना के रुप में जारी की जा रही थीं।

10.1.5 मूल्यांकन समिति (1986) ने अपेक्षित प्रयोगशाला तथा वैज्ञानिक सहायकों द्वारा सहाय्य

जैव रसायन/जीव रसायन/कॉफी तकनीक में दो विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदत्त प्रभाग के अध्यक्ष के रूप में एक जीव रसायनज्ञ सहित, एक स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग की स्थापना का परामर्श दिया था। लक्ष्य, (क) खेत से काटी गई कॉफी की फसल के अंतिम उत्पादन पर कीटनाशक अवशेषों (ख) अंन्तिम उत्पादन में प्राणघातक तथा गैर प्राणघातक अवशेषों को सुनिश्चित करने तथा (ग) कॉफी नाशी कीट के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों के प्रयोग में विवेकपूर्ण मानकों का परिकलन करना तथा प्राणघातक स्तर को कम करने के लिए प्राणघातक स्तरों, यदि कोई हो को सुरक्षित करना ताकि अंतिम उत्पादन स्वास्थ्य खतरों से मुक्त रहें, के प्रभाव को सुनिश्चित करना था। इसके अतिरिक्त् यह भी सलाह दी गई थी कि इकाई को, और अच्छी इन्स्टैंट कॉफी के सूत्रीकरण का विकास करने के लिए इन्स्टैंट कॉफी के निर्माण में अत्याधिक प्रयोग की गयी किस्म रोबस्ता कॉफी पर कार्य भी हाथ में लेना चाहिए। तथापि, गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग की स्थापना अभी तक नहीं की गई है (सितम्बर 1991)।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान में कुछ परीक्षण पहले ही प्रारंभ किए जा चुके थे तथा कि परीक्षणों को हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान में एक जीव रसायन प्रभाग की स्थापना आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान प्रस्तावित थी।

10.1.6 मूल्यांकन समिति (1986) ने अपनी रिपोर्ट में इंगित किया था कि अनुसंधान खंड में बहुत से पद रिक्त पड़े हुए थे तथा अनुसंधान में निरंतरता के लिए इन पदों को भरने की आवश्यकता महसूस की थी। तथापि, मार्च 1990 के अंत तक अनुसंधान वैयक्तिक (वैज्ञानिक अनुसंधान सहायकों इत्यादि) के 12 पद तथा सांख्यिकीविदों के 4 पद कुल रिक्त स्तर के 17 प्रतिशत विभिन्न शिक्षणों में तीन वर्षों से अधिक समय से खाली पड़े रहे थे। समिति ने क्षेत्र के लाभ के लिए विशिष्ट तकनीकों को विकसित करने हेतु स्वतंत्र रुप से प्रयोग करने के लिए अनुसंधान स्टेशनों के विभिन्न शिक्षणों में विषय विशेषज्ञों, जिन की संख्या अभी बोर्ड द्वारा निश्चित की जानी है,(सितम्बर 1991) की नियुक्ति की भी सिफारिश की थी। बोर्ड द्वारा जुलाई 1991 में यह बताया गया था कि इस ने दूरस्थ क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को रखने में कठिनाई अनुभव की क्योंकि क्षतिपूर्ति पैकेज तथा सुविधाएं अपर्याप्त तथा अन्य इसी प्रकार के अनुसंधान संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षतिपूर्ति की तुलनायोग्य नहीं थीं। आगे यह भी बताया गया था कि इस मामले की जांच के लिए मंत्रालय द्वारा जनवरी 1991 में एक समिति की नियुक्ति की गई थी।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में इंगित किया कि प्रत्येक अनुसंधान स्टेशन में विषय वस्तु

विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रस्ताव आठवीं योजना में शामिल कर लिया गया था।

10.1.7 कॉफी बेरी बोर्डर सारे संसार में कॉफी कीटों में एक सबसे खतरनाक कीट है। कीट अविकसित तथा विकसित बेरियों को क्षति पहुंचाते हुए कॉफी बेरियों में प्रवेश करते हैं तथा अंडे देते हैं जिससे अत्यंत उत्पीड़न तथा भारी फसल हानि होती है। प्रारंभ में नाशीकीट का मामला फरवरी 1990 में गुडालूर (तामिलनाडु) में ध्यान में आया था। मई 1991 में बोर्ड द्वारा गठित प्रारंभिक सर्वेक्षण दल द्वारा सूचित किया गया कि उत्पीड़न ने गुडालूर तथा सुल्तान बेटरी (केरल) दोनों में 11,200 एकड़ कॉफी बागान को प्रभावित किया था जिसमें 7,000 लघु जोत क्षेत्र सम्मिलित था।

बाधित कॉफी को अलग करने के लिए बोर्ड ने फरवरी 1991 में कार्यवाही प्रारंभ की थी। पोलाछी (तामिलनाडु) तथा बेगूर (कर्नाटक) में दो संसाधन कार्यशालाओं को, भंडारण उद्देश्यों हेतु गन्नी थैलों की खरीद तथा भंडारण और बाधित काफी को घूमित करने के लिए अस्थाई संरचना के निर्माण हेतु ऋण के रूप में 15.90 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता दी गई थी ।

उत्पादकों को कीटनाशकों के आबंटन जैसे उपायों के माध्यम से जन्तु बाधा के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत उपाय अभी तक नहीं किए गए थे (सितम्बर 1991)। जनवरी 1991 में काफी बेरी बोर्डर नियंत्रण के सम्पूर्ण नाशीकीट के प्रबन्ध हेतु 175.40 लाख रु. के परिव्यय सहित एक परियोजना प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। सरकार द्वारा प्रस्ताव अभी अनुमोदित किया जाना था (सितम्बर 1991)।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि "रसायनों की लागत के प्रति 50 प्रतिशत परिदान मुहैया कराने के लिए कॉफी बोर्ड के प्रस्ताव की जाचं योजना आयोग की सलाह से की जा रही है। तथापि, विलम्ब से बचने के लिए अन्य योजनाओं की बचतों मे से वर्तमान वर्ष के दौरान इसके कार्यान्वयन की संभावना पर भी सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है"।

इस संदर्भ में यह बता देना उचित होगा कि नाशीकीट का खतरा कुट्टा (जिला कोडागु, कर्नाटक) के निकटस्थ क्षेत्रों में फैल गया है। फसल की हानि के रूप में हुई क्षति की सीमा का निर्धारण अभी बोर्ड द्वारा किया जाना था(सितम्बर 1991)।

10.2 विस्तार खंड, काफी उत्पादक समुदाय को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड के महत्वपूर्ण गतिविधि क्षेत्रों में से एक है । यह नवीनतम फार्म तकनीक में ज्ञान के प्रचार तथा काफी की खेती के नए ढंगों के प्रदर्शन करने की दृष्टि से एक विविधता फार्म सहित, प्रदर्शन फार्मों को भी सम्पोषित करता है ।

10.2.1 बोर्ड द्वारा सम्पोषित प्रदर्शन फार्मों से 1987-90 के दौरान प्राप्त की गई प्रति हैक्टैयर

औसत पैदावार नीचे दर्शाई गई है:-

जिला	फार्मों की संख्या	1987-88 जिला औसत औसत पैदावार		1988-89 जिला औसत औसत पैदावार		1989-90 जिला औसत औसत पैदावार	
			(प्रति हैक्टेयर कि ग्रा में)				
कर्नाटक							
1. हासन	1	699	1127	1233	1294	710	635
2. चिकमंगलूर	2	640	657	1075	812	644	365
3. कोडागू	2	1086	696	1602	1476	812	922
तमिलनाडु							
4. मदुरैई	2	507	849	340	500	387	485
5. सालेम	1	423	1068	524	760	502	1290
6. नीलगिरी केरल	1	916	100	1012	500	650	335
7. वाईनेड	2	283	875	651	1265	282	874

काफी प्रदर्शन फार्मों के निष्पादन पर टिप्पणी करते समय मूल्यांकन समिति ने पाया (1986) कि इन फार्मों में प्राप्त की गई पैदावार, फार्मों में आने को उत्पादकों को आकर्षित करने तथा इन फार्मों में अपनाए जाने वाले कृषि तरीकों को जानने के लिए उनके दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए जिले में, उच्चतम होनी चाहिए । इनफार्मों को काफी उत्पादकों को अनुसरण करने के लिए, एक नमूने के तौर पर कार्य करना था ।

यह देखा गया था कि कोदाक तथा नीलगिरी पर फार्मों के संबंध में 1987-88 के लिए, चिकमंगलूर, कोडागू तथा नीलगिरी पर फार्मों के संबंध में 1988-89 के लिए और हासन, चिकमंगलूर तथा नीलगिरी पर फार्मों के संबंध में 1989-90 के लिए औसत उत्पादन स्तर, संबंधित जिलों की औसतों से भी कम थे। इन फार्मों को स्थापित करने का लक्ष्य, इस प्रकार, पूर्णतः प्राप्त नहीं किया गया।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि गोनीकोपाल, कोडागू के पुराने पौधारोपण (1959) पुनः पौधारोपण हेतु आयु पूरी कर गये थे तथा कॉफी क्षेत्र लाल जड की जड़ बिमारी से

प्रभावित था। दूसरी ओर सलेम तथा विनाद में प्राप्त अधिक उत्पादन भूमि तथा जलवायु कारकों के अधिक अनुकूल होने के कारण बताया गया था तथा वरकौद (सलेम) में अधिक उत्पादकता, विशिष्ट अरेबिका चुनावों तथा अनुकूलतम श्रेणी की खेती करने को अपनाये जाने द्वारा प्राप्त की गई थी।

10.3 गैर-परम्परागत क्षेत्रों में काफी विस्तार पर, मुख्यतः फसलों के स्थान परिवर्तन की बहुत पुरानी प्रणाली को छुड़ाते हुए, पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में निवास कर रहे जनजाति जनसंख्या के लाभ हेतु एक समान-वित्तीय कार्यक्रम रुप से विचार किया गया था । तदनुसार, काफी विस्तार कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश,उड़ीसा, असम के गैर-परम्परागत क्षेत्रों में सम्बन्धित सरकारों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

आवश्यकता आधारित उपागम पर, इस संबंध में बोर्ड की भूमिका गैर परम्परागत क्षेत्रों को अनुसंधान विस्तार तथा विपणन सहयोग मुहैया कराने तक सीमित है। क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन (क्षे.अ.स्टे.)राघवेन्द्रनगर (आन्ध्र प्रदेश) तथा दिफू (असम)में क्रमशः 1976 और 1985 में प्रणालियों के पैकेजों को मानकीकृत तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये अपेक्षित उपयुक्त पौध सामग्री का पता लगाने के मुख्य उद्देश्य के साथ स्थापित किये गये थे। सात कॉफी प्रदर्शन फार्म, जो विस्तार केन्द्रों के रुप में भी कार्य करते हैं कॉफी खेती के परम्परागत तरीकों को प्रदर्शित करने तथा विस्तार गतिविधियों को जारी रखने के लिये बोर्ड द्वारा 1978 से 1988 के दौरान गैर-परम्परागत क्षेत्रों में स्थापित किये गये थे।

1989-90 तक पांच वर्षों के दौरान 177.80 लाख रु. के बजट प्रावधान के प्रति, निधियों का वास्तविक उपयोग 116.28 लाख रु. का था जिसके परिणामस्वरुप 61.52 लाख रु. की मात्रा तक निधियों का कम उपयोग हुआ। कमी मुख्यतः अनुसंधान स्टेशनों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन में धीमी प्रगति, कॉफी प्रदर्शन फार्म नोने(मनीपुर) में तथा कुछ सीमा तक क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन राघवेन्द्रनगर (आन्ध्र प्रदेश) में गतिविधियों के निलम्बन के कारण थी।

10.3.1 सात कॉफी प्रदर्शन फार्मों में उपलब्ध 144.46है. के कुल क्षेत्र के प्रति केवल 65.06 है.(45 प्रतिशत) क्षेत्र पर अभी तक काफी लगाई गई है(सितम्बर 1991)। सात प्रदर्शन फार्मों में से, तुलाकोना (त्रिपुरा) तथा बुआलपुई (मिजोरम) स्थित दो फार्मों ने उत्पादन स्तर अभी प्राप्त करने थे। कॉफी प्रदर्शन फार्म नोनी की गतिविधियां जो आतंकवादी गतिविधियों के कारण 1986 में स्थगित कर दी गई थी फिर दोबारा अभी तक चालू नहीं की गई हैं (सितम्बर 1991)। कोरापुट में मूल रुप से 1978 में स्थापित फार्म, एक भूमि विवाद मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय के मध्यनजर 1987 में एक स्थानापन्न स्थल को स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा नया स्थल अभी विकसित

किया जाना था (सितम्बर 1991)।

शेष तीन फार्मों अर्थात्, हाफलॉग (असम), किरुफेमा (नागालैण्ड), डियोमाली (अरुणाचल प्रदेश), के संबंध में 1988-90 के दौरान काफी फसल की औसत पैदावार क्रमशः 250 कि.ग्रा. प्रति है., 227कि.ग्रा.प्रति है. तथा 178कि.ग्रा. प्रति है. थी, जो कि 1987-88 के लिए अखिल भारतीय औसत 567 कि.ग्रा. प्रति है. से भी काफी कम थी (1988-89तथा 1989-90 के लिए अखिल भारतीय औसत उपलब्ध नहीं था)।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि प्रारंभिक पैदावार वर्षों में, काफी की पैदावार में 10-13 वर्षों की आयु पर चरम पैदावार स्तर पर पहुंचने से पहले ही हमेशा निम्न स्तर दर्ज किए जाते हैं तथा इसे देखते हुए इन काफी प्रदर्शन फार्मों में औसत पैदावारे उचित हैं।

10.4 बोर्ड द्वारा 1956 में आरंभ की गई काफी विकास परियोजनायें, आम कॉफी उत्पादकों तथा विशेष रुप से छोटे उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए, काफी में उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के उद्देश्य से थीं। इस उद्देश्य के लिये, विभिन्न योजनाओं के अधीन पंजीकृत उत्पादकों के ऋण के रुप में वित्तीय सहायता दी जाती है जिसके लिए निधियां सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं । 1985-90 के दौरान विभिन्न ऋण योजनाओं के अधीन प्रदान की गयी सहायता की राशि का ब्यौरा नीचे है:-

ऋण योजनायें	उद्देश्य	अवधि से कार्यान्वयन अधीन	उत्पादकों की श्रेणी	सहायता प्रदान किये गये लाभ भोगियों की संख्या	प्रदान किये गये ऋण की राशि (लाख रु. में)
गहन कृषि	उत्पादकता बढ़ाने हेतु दीर्घावधि ऋण	1957-58	लघु	1360	176.81
पुनःपौधरोपण	अमितव्ययी पौधों को				

उच्चपैदावार रोग प्रति- रोधी तथा उन्नत पौधों से बदलना	1968-69	लघु/बृहत	167	19.80
विस्तृत कृषि कॉफी कृषि के अधीन क्षेत्र का विस्तार	1975-76	लघु	50	4.31
विशेष उद्देश्य वेधन कुओं का खोदना, तालाबों का विकास,सुखाने के अहातों का निर्माण इत्यादि	1972-73	लघु	609	90.77
किराया खरीद आवश्यक भूसम्पत्ति मशीनरी तथा उपकरण की खरीद	1960-61	लघु/वृहत्त	2247	823.81
फसल भाराक्रांति कॉफी भू सम्पत्ति के अनुरक्षण हेतु				

कार्यकारी पूंजी				
मुहैया				
कराना।	1962-63	लघु/वृहत्त	10935	1425.83
		योग		2541.33

10.4.1 1985-90 के दौरान वितरित 2541.33 लाख रुपये के कुल ऋण की राशि में से 2249.64 लाख रुपये दो योजनाओं किश्तों पर खरीद ऋण योजना तथा फसल बंधकीकरण ऋण योजना पर व्यय किया गया था जो कुल वितरित ऋण का 88 प्रतिशत परिकलित हुआ। अन्य चार योजनाओं के संबंध में 2186 छोटे उत्पादकों को आवृत करते हुए सहायता केवल 291.69 लाख रुपये परिकलित हुई। 1985-90 के दौरान विकसित किए जाने वाले 3190 है. के प्रत्यक्ष लक्ष्य के प्रति उपलब्धि 2295 है. (72 प्रतिशत) थी।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि कमी, उत्पादकों को वित्तीय सहायता को बढ़ाने हेतु समय पर अपेक्षित आंतरिक स्रोतों के अभाव के कारण थी।

10.4.2 1985-90 के दौरान फसल बंधकीकरण ऋण योजना के अधीन गैर परम्परागत क्षेत्रों में 103 छोटे उत्पादकों को वितरित किए गए 1.14 लाख रुपये की राशि तक को छोड़कर, इन योजनाओं के अधीन केवल परम्परागत कॉफी उत्पादक क्षेत्रों को सहायता प्रदान की गई थी। यह, इस योजना के अधीन वितरित कुल 1425.83 लाख रुपये के कुल ऋण के प्रति 0.08 प्रतिशत बनती है।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि जनजातीय कॉफी उत्पादकों के पास अधिक निखरा हुआ तथा आधा एकड़ से पांच एकड़ के बीच बहुत थोड़ी जोत क्षेत्र था और उन्हें परिदान दरों पर अन्य निवेश के अतिरिक्त जनजातीय विकास एजेंसियों से कुछ वित्तीय सहायता मिलती है। आगे, श्रम संघटक केवल परिवार सदस्यों द्वारा ही है। इसलिए वे ऋण को प्राप्त करने में अधिक रुचि नहीं रख रहे हैं।

10.4.3 बोर्ड, नियंत्रण दस्तावेज के रुप में प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक ऋण योजना के संबंध में प्रत्येक वर्ष के अंत में मांग, एककीकरण तथा शेष के समेकित विवरणों का संकलन नहीं कर रहा था। ऋणों की अतिदेय राशियों तथा ब्याज की स्थिति भी वार्षिक रुप से संकलित नहीं की जाती है। इसके अभाव में लेखापरीक्षा के लिए यह जांच करनी कि क्या मूल तथा ब्याज की राशियों की नियमित रुप से मांग तथा वसूली की जारही है संभव नहीं था।

मंत्रालय ने यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष के अंत में मांग, संग्रहण तथा बकाया के विवरण तैयार नहीं किए गए थे, सितम्बर 1991 में बताया कि अप्रैल 1990 से इकाई स्तरों पर लेखे का विकेन्द्रीयकरण किया गया था तथा समेकित सूचियां इसके बाद बनाई जायेंगी।

10.5 उत्पादकता बढ़ाने तथा कॉफी के अंतर्गत नये क्षेत्रों को लाने के लिए छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहन मुहैय्या कराने के विचार से सरकार, विभिन्न योजनाओं के अधीन परिदान प्रदान कर रही थी। पुनःपौधारोपण परिदान योजना जो 1973-74 से संचालित है के अधीन बोर्ड ने 1985-90 के दौरान 18 लाख रुपये की एक राशि वितरित की। योजना के अधीन उपार्जित पुनर्पौधारोपण का क्षेत्र 910 है. के लक्ष्य के प्रति केवल 565 है. था।

10.5.1 1979-80 से लागू विस्तारण परिदान योजना के अधीन कॉफी के अधीन लाये गये नये क्षेत्रों के सभी उत्पादक 2500 रुपये प्रति है. के परिदान के लिए ग्राहय थे। यह 1987 रोपण काल से छोटे उत्पादकों के लिए 3750 रुपये प्रति है. तक बढ़ा दी गई थी। सातवीं योजना के दौरान 31,600 है. के लक्ष्य की तुलना में कॉफी के अधीन लाया गया नया क्षेत्र केवल 24322 है. था तथा वितरित परिदान की राशि कुल 468.73 लाख रुपये थी। कमी के कारण बोर्ड से उपलब्ध नहीं हो रहे थे।

10.5.2 ब्याज परिदान योजना 1977-78 में लागू की गई थी जिसके अधीन 10 है. से कम के स्वामित्व वाले छोटे उत्पादक जिन्होंने अपनी भूसम्पत्ति के विकास हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए थे सभी नियत ऋणों पर एक प्रतिशत प्रतिवर्ष के लिए तथा सभी फसल ऋणों पर 2 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक ब्याज परिदान के लिए ग्राहय थे। 1985-90 के दौरान योजना के अधीन वितरित परिदान की राशि 70.18 लाख रुपये थी।

10.5.3 यह सिद्ध करने हेतु कि क्या इन योजनाओं के अधीन प्रत्याशित लाभ अर्जित हुआ था, के विचार से बोर्ड ने इन योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया था (सितम्बर 1991)।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि पुनः पौधारोपण योजना के अधीन प्रत्यक्ष उपलब्धि में कमी केवल छोटे उत्पादकों के लिए 1987 से आगे सहायता की पात्रता में प्रतिबंध करने, तथा छोटे उत्पादकों, जिन्होंने अपने स्रोतों से पुनः पौधारोपण शुरु किए थे, तथा सहातया के लिए पात्र नहीं थे के कारण थी विस्तार परिदान के संबंध में, मंत्रालय द्वारा यह बताया गया था कि प्रत्यक्ष उपलब्धि में कमी दस्तावेजों के अभाव में सहायता प्राप्त न करने वाले कुछ पौध लगाने वालों पर तथा नये पौध लगाये गये क्षेत्रों के खराब रख रखाव के कारण बहुत से विस्तार परिदान को रद्द किए जाने पर आरोप्य थी। मंत्रालय ने यह मानते हुए कि विकासात्मक योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया था, यह भी बताया कि उत्पादकता में यथेष्ट सुधार था तथा इन योजनाओं

के अंतर्गत प्रगति बहुत सार्थक थी।

11 **प्रचार विभाग**

प्रचार विभाग, उचित दामों पर इसके अपने बाजारों के जरिये बिक्री के लिए कॉफी का प्रचार तथा पेश करके कॉफी के उपभोग को बढ़ाने हेतु स्थापित किया गया था। यह, 47 भारतीय कॉफी डिपो (भा का डि), 18 कॉफी ग्रह (केफैटेरिया) तथा 5 चलती फिरती गाडियों वाली 70 प्रचार यूनिटों (परम्परागत क्षेत्र में 19, गैर परम्परागत क्षेत्र में 51) का संचालन कर रहा है । कच्ची एवं पाउडर के रुप में काफी, न्यूनतम निर्गम मूल्य जमा संचालन परिव्यय के संदर्भ में नियत मूल्यों पर भा.कॉ.डि. द्वारा बेची जाती है तथा यह प्रचार एवं बाजार मूल्यों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य को पूरा करने के लिये भी अभीष्ठ है ।

मंत्रालय के अनुरोध पर बोर्ड ने दिसम्बर 1989 में प्रत्येक भा.का.डि. तथा कैफेटेरियां इकाइयों के कार्यसंचालन का अध्ययन किया तथा सूचित किया कि 30 बिक्री अधिकारी तथा 130 वर्ग "घ" स्टाफ आवश्यकता से अधिक थे।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में स्वीकार किया कि कुल 5 बिक्री अधिकारी 12 सहायक बिक्री अधिकारी तथा 130 ग्रुप "घ" के पदों की संख्या फालतू थी तथा बताया कि 5 बिक्री अधिकारियों तथा 12 सहायक बिक्री अधिकारियों के पदों को उनके रिक्त होने के उपरांत भरा नहीं जायेगा। आगे यह बताया गया था कि फालतू बताये गये 130 ग्रुप "घ" के पद रिक्त रखे गये थे तथा 59 दैनिक वेतन भोगी पदों के प्रति तब तक दिखाये जा रहे थे जब तक रिक्तियां होने पर अन्य विभागों में नियुक्त कर दिए जाये अथवा स्वयं प्रचार विभाग में स्थाई बना दिया जाये। तथापि, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि बोर्ड ने मार्च 1990 में मंत्रालय को सूचित किया कि बिक्री अधिकारियों के 30 पद समाप्त किए जा सकते थे। तथापि, बिक्री/ सहायक बिक्री अधिकारियों के पदों की संख्या में भिन्नता जो अब फालतू स्वीकार कर ली गई हैं को स्पष्ट नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि बोर्ड प्रचार विभाग के लिए एक दिये गये समय में प्राप्त किये जाने वाले विशेष लक्ष्यों तथा उद्देश्यों तथा उनको प्राप्त करने हेतु कार्यवाही योजना तैयार नहीं की थी। इस संबंध में निम्नलिखित कमियां ध्यान में आई थी:-

(i) विभाग ने काफी को लोकप्रिय बनाने के लिए दी गई एक अवधि में आवृत किये जाने वाले लक्षित क्षेत्रों अथवा आबादी की पहचान नहीं की थी;

(ii) इसके पास गैर परम्परागत क्षेत्रों विशेषकर बड़े कस्बों में कॉफी के उपभोग में वृद्धि करने के लिए कोइ विशिष्ट योजनाएं तथा लक्ष्य नहीं थे;

(iii) बोर्ड ने गैर-परम्परागत कॉफी उपभोक्ता क्षेत्रों में घुलनशील (इन्सटेंट) कॉफी के उपभोग के प्रचार के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं सूत्रबद्ध नहीं की थी। बोर्ड ने घरेलू बाजार मेंकॉफी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इन्सटैंट कॉफी क्षेत्र को सौंपे जाने वाली भूमिका के लिए भी कोई योजना नहीं बनाई थी ।

गैर-परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी के उपभोग को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, लोक लेखा समिति ने अपनी 127वीं रिपोर्ट में निम्नवत् अनुशंसा की थी कि:-

"समिति विचार करती है कि बोर्ड के प्रयत्नों की सफलता की वास्तविक परीक्षा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी के उपभोग में वृद्धि पर निर्भर करती है। समिति का दृष्टिकोण यह है कि गैर-परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी के प्रोत्साहन के कार्य के लिए कॉफी बोर्ड की परिप्रेक्ष्य योजना के साथे-साथ दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है" ।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया " कि मुख्य कॉफी विकास योजनाओं के सूत्रबद्धन तथा कार्यान्वयन के रास्ते में निधियों की कमी हमेशा कायम रही थी। तो भी उपलब्ध बजट स्रोतों के भीतर 1991-92 के लिए एक कार्यवाही योजना भी सूत्रबद्ध की गई है" । तथापि, मंत्रालय ने 1991-92 से पहले किए गए प्रोत्साहनात्मक प्रयास नहीं बताये हैं। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी 1983 की 127वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार गैर परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी के प्रोत्साहन के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि बोर्ड ने लघुकालीन व दीर्घकालीन योजनाएं सूत्रबद्ध की हैं जो स्वीकृति के लिए सरकार को मई 1990 में प्रस्तुत की गई थीं। तथापि, मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि क्या ये योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं तथा क्या बोर्ड द्वारा, लोक लेखा समिति की 1983 में की गई सिफारिशों के बाद से मई 1990 में लघु/दीर्घकालीन योजनाओं के सूत्रबद्धन तथा सरकार को प्रस्तुत करने तक कोई कॉफी प्रोत्साहन प्रयास किए गए थे।

12. सतर्कता

बोर्ड के सतर्कता खण्ड की अध्यक्षता एक सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है। उसके मुख्य कार्यों में गलत तरीकों को रोकने, भ्रष्ट व्यवहारों के लिए अतिसंवेदनशील संसाधन कार्यशालाओं सहित संवेदनशील इकाइयों की पहचान करना, जनता तथा बोर्ड के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों की छान-बीन करना इत्यादि शामिल है।

1985-90 के दौरान सतर्कता खण्ड द्वारा छानबीन के लिए लिए गये 283 मामलों में से , जिनमें से 224 मामले छानबीन के बाद बंद कर दिए गए थे। विलम्बित निपटारे वाले शेष 59 मामलों में से, 58 मामले तीन वर्षों से अधिक पुराने थे।

संसाधन कार्यशालाएं बोर्ड के एजेंट के रूप में कार्य करती हैं तथा कॉफी, की प्राप्ति जारी करने तथा हिफाजत में रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जो कि बोर्ड की सम्पत्ति है। इन पूलिंग एजेंटों, जिनके प्रत्यक्ष आधिपत्य में हजारों बोरों का भारी भंडार पड़ा है, समुचित अनुरक्षण तथा भंडार लेखा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं। बोर्ड ने पहले भंडारों का आवधिक अथवा आकस्मिक सत्यापन नहीं किया। एक संसाधन कार्यशाला के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा नवम्बर 1989 में पता लगे भंडारों के छलकपट के कारण, सतर्कता खण्ड ने फरवरी-नवम्बर 1990 के दौरान भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जिसने 2.22 करोड़ रु. मूल्य के भंडारों की कमियों को प्रकट किया। इसके प्रति, बोर्ड केवल 13.10 लाख रु. ही वसूल करने में सक्षम हो सका (सितम्बर 1991)। भंडार की कमियों के 16 मामलों में से, दो मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस के हवाले किये जा चुके हैं तथा अन्य दो मामलों के संबंध में, बोर्ड ने क्षतिपूर्तियों के लिए उच्च न्यायालय को सम्पर्क किया है। शेष 12 मामलों में, बोर्ड द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थापित की जा चुकी है (सितम्बर 1991)।

13. आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का नेतृत्व एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाता है,वह निदेशक (वित्त)को रिपोर्ट करता है, यद्यपि, कॉफी बोर्ड मैन्यूअल में प्रावधान है कि शाखा को अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करना चाहिये। इसमें चार पर्यवेक्षक तथा दस सहायक हैं जो कि वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं।

31 दिसम्बर 1990 को कुल 305 इकाईयों में से 129 इकाईयां आंतरिक लेखापरीक्षा खण्ड द्वारा अभी भी पूरी की जानी थी जिस में से 85 इकाईयों का वार्षिक, 30 इकाईयों का द्विवार्षिक तथा 14 इकाईयों का तिमाही लेखापरीक्षण किया जाना था। आवृत में कमी, 1987-90 के दौरान लेखा कर्मचारियों के 18 पदों को न भरे जाने के कारण बताई गई थी।

जैसा कि पैरा 7 में पहले ही उल्लेख किया गया है, संसाधन कार्यशालाओं के लेखों की विस्तृत जांच आतंरिक लेखापरीक्षा खण्ड द्वारा सितम्बर 1989 से प्रारम्भ की गई थी। निष्कर्षों के आधार पर यह रिपोर्ट किया गया था कि संसाधन कार्यशाला भारी पैमाने पर दूरुपयोग तथा धोखाधड़ी में लिप्त थी तथा आठ वर्षों की अवधि में अर्थात् 1981-89 में 83 लाख रु. की निधियों का दुर्विनियोजन किया। विस्तृत जांच प्रारम्भ करने में यथेष्ट विलम्ब थे, हालांकि साख-पत्रों पर आहरित

राशियों मे से भारी शेष रखे जाने जैसे धोखाधड़ी के व्यवहार में लिप्त संसाधन कार्यशालाओं का काफी पहले 1986 में ही बोर्ड को पता लग गया था तथा वर्ष 1985-86 के लिए महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन में इन्हें बताया गया था।

मंत्रालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि वे मंत्रालय के मुख्य लेखानियंत्रक को प्रणाली का अध्ययन तथा उसके सुधार करने के लिए उपयुक्त उपायों को सुझाने के निर्देश दे रहे थे।

14. पुनरीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताएं

(i) चूंकि कॉफी के व्यापार का संचालन दोनों घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्वज्ञानयोग्य भविष्यत्काल में अतिरेक कॉफी उत्पादन की पृष्टठभूमि के प्रति करना होता है, कॉफी बोर्ड के लिए भारतीय कॉफी हेतु समुचित बाजार का हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए देश तथा विदेश में इसकी विपणन योजनाओं को पुनः तैयार करने तथा सुदृढ़ीकरण पर गंभीरता पूर्वक विचार करना आवश्यक है।

(ii) कॉफी बोर्ड को न केवल देश में बढ़ते हुए कॉफी उत्पादन को पूरा करने के लिए पर्याप्त कॉफी संसाधित क्षमता के विकास करने पर निरंतर ध्यान देना पड़ता है, अपितु संसाधित कॉफी की गुणवत्ता को उन्नत करने क साथ साथ अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्तमान संसाधित कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण भी करना होता है क्योंकि उत्पादित कॉफी की गुणवत्ता का विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस की विपणनयोग्यता तथा मूल्य उपज पर प्रभाव पड़ता है।

(iii) कॉफी बोर्ड को प्रकटन तथा गलत तरीकों से बचाव के लिए, जो कि पूल निधि को राजस्व तथा उत्पादकों को अदा की गई सम्भावित कीमतों को प्रभावित करती हैं। कॉफी संसाधन कार्यशालाओं पर अपना नियंत्रण तथा निरीक्षण को आवश्यक रुप से सख्त करना पड़ेगा। इस संबंध में सुधार का विचारणीय क्षेत्र है तथा बोर्ड को उचित प्रशासनिक मार्गनिर्देशों तथा बोर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा तथा सतर्कता प्रभाग के कर्मचारियों के बेहतर उपयोग के माध्यम से अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का सुधार करने की आवश्यकता है।

(iv) कॉफी बोर्ड को काफी उत्पादकों के हित को और उपयोगी बनाने के लिए उनके सुधारने तथा उन्नत बनाने के लिए अपने अनुसंधान, विकास तथा विस्तार गतिविधियों की आवधिक संवीक्षा करनी चाहिए।

(v) सरकार को, बोर्ड की कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने तथा काफी उत्पादकों के हित को सुरक्षित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कॉफी अधिनियम की धारा 4(2X ग) के अंतर्गत कॉफी बोर्ड के सदस्यों के नांमाकन की उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करना चाहिए।

हेच. जालिहाल

(हेच. जालिहाल)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, कर्नाटक

बंगलौर

दिनांक 25 नवम्बर 1991

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

(सि.जि. सोमैया)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक 26 NOV 1991

अनुबंध "क"

कॉफी बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा